

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

वार्षिक लेखा 2023-24

विद्या स मृतमश्नुते



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

वार्षिक लेखा

2023-24



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

नवंबर 2024

कार्तिक 1946

PD 1H BS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2024

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय				
एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली 110 016	108, फीट रोड हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे बनाशंकरी III स्टेज बैंगलुरु 560 085	नवजीवन ट्रस्ट भवन डाकघर नवजीवन अहमदाबाद 380 014	सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस निकट धनकल बस स्टॉप पनिहाटी कोलकाता 700 114	सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लेक्स मालीगाँव गुवाहाटी 781 021

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन प्रभाग में प्रकाशित तथा पुष्पक प्रैस प्राइवेट लिमिटेड, 203-204 ठी.एस.आई.डी.सी. शेड्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेझ-I, नई दिल्ली 110 020 द्वारा मुद्रित।

(प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है।
यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन ही मान्य होगा)

विषय-सूची

विषय	अनुसूची	पृष्ठ सं.
क. 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र		1
i) पूँजीगत निधि	1	2
ii) अभिहित/उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ	2	3
iii) अक्षय निधियाँ	2 (अ)	4
iv) चालू देयताएँ एवं प्रावधान	3	5
v) प्रायोजित परियोजनाएँ	3 (अ)	6–7
vi) प्रायोजित अध्येतावृत्तियाँ एवं छात्रवृत्तियाँ	3 (ब)	8
vii) भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान	3 (स)	9
viii) स्थायी परिसंपत्तियों का समेकित विवरण (पूँजीगत + राजस्व)	4	10–11
ix) स्थायी परिसंपत्तियाँ (पूँजीगत)	4 (अ)	12–13
x) स्थायी परिसंपत्तियाँ (राजस्व)	4 (ब)	14–15
xi) पूँजी	4 (स)	16
xii) परिसंपत्तियाँ — अन्य (उपहारस्वरूप/प्रायोजित परियोजनाएँ)	4 (द)	17
xiii) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश	5	18
xiv) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश (निधिवार)	5 (अ)	18
xv) निवेश – अन्य	6	19
xvi) चालू परिसंपत्तियाँ	7	20
xvii) बैंक खातों का विवरण	7 (अ)	21
xviii) ऋण, अग्रिम एवं जमा	8	22
xix) प्रायोजित परियोजनाओं के संदर्भ में देनदार	8 (अ)	23
ख. दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक आय एवं व्यय लेखा		24
i) अकादमिक प्राप्तियाँ	9	25
ii) अनुदान/सहायिकियाँ (प्राप्त अशोध्य अनुदान) 2023–24	10	26
iii) निवेशों से आय	11	27
iv) अर्जित व्याज	12	28

विषय	अनुसूची	पृष्ठ सं.
v) अन्य आय	13	29
vi) पूर्वाधिकारी आय	14	30
vii) स्टाफ भुगतान एवं हितलाभ (स्थापना व्यय)	15	31
viii) कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ	15 (अ)	32
ix) अकादमिक व्यय	16	33
x) प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	17	34
xi) परिवहन व्यय	18	35
xii) मरम्मत एवं रख-रखाव	19	36
xiii) वित्त लागत	20	37
xiv) अन्य व्यय	21	38
xv) पूर्वाधिकारी व्यय	22	39
ग. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा		40–42
घ. सामान्य भविष्य निधि लेखा — 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र		43
ङ. सामान्य भविष्य निधि लेखा— 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा		44
च. सामान्य भविष्य निधि लेखा— वित्तीय वर्ष 2023–24 की प्राप्ति एवं भुगतान लेखा		45
छ. नई पेंशन योजना— 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र		46
ज. नई पेंशन योजना— 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा		47
झ. नई पेंशन योजना— 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा		48–49
ज. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	23	50–53
ट. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पर टिप्पणियाँ	24	54–60
ठ. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के लेखा पर 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट		61–63
ड. लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक		64

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

क. 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

राशि रुपये में

निधियों के स्रोत	अनुसूची	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
समग्र/पूँजीगत निधि	1	(31,34,19,196)	(93,66,62,502)
अभिहित/उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ	2	-	-
चालू देयताएँ और प्रावधान	3	18,30,28,88,944	20,81,36,49,592
कुल		17,98,94,69,748	19,87,69,87,090

राशि रुपये में

निधियों का प्रयोग	अनुसूची	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
स्थायी परिसंपत्तियाँ	4		
मूर्त परिसंपत्तियाँ		2,47,48,61,229	2,03,08,58,921
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		84,78,294	85,06,014
चालू पूँजीगत कार्य		-	8,46,36,520
उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश	5	-	-
दीर्घकालीन		-	-
अल्पकालीन		-	-
निवेश – अन्य	6	-	1,50,92,97,306
चालू परिसंपत्तियाँ	7	13,60,82,77,033	14,05,37,76,725
ऋण, अग्रिम और जमा	8	1,89,78,53,192	2,18,99,11,604
कुल		17,98,94,69,748	19,87,69,87,090

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 1 — पूँजीगत निधि

राशि रूपये में

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	2023-24	2022-23
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(93,66,62,502)	(2,27,56,83,682)
जमा — पूँजीगत निधि में उपयोग	19,63,07,793	36,88,12,615
जमा — भारत सरकार से प्राप्त अनदुनाओं में से पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
जमा — के.लो.नि.वि. मूल्य के अनुसार आर.पी.डी.सी. में भवन का परिवर्धन	-	3,27,67,028
जमा — प्रायोजित परियोजनाओं का समायोजन	(42,26,969)	
जमा — उद्दिष्ट निधियों में से क्रय की गई परिसंपत्तियाँ	-	-
जमा — प्रायोजित परियोजनाओं में से क्रय की गई परिसंपत्तियाँ, जहाँ संस्था का स्वामित्व हो	2,70,000	1,99,83,590
जमा — दान की गई परिसंपत्तियाँ/प्राप्त किए गए उपहार	23,690	5,42,448
जमा — प्रकाशन समायोजन – पेपर खाता	21,23,55,380	-
जमा — अन्य परिवर्धन/समायोजन	53,96,606	-
जमा — आय एवं व्यय लेखा में से हस्तांतरित आय का व्यय से आधिक्य	21,31,16,806	91,69,15,499
कुल	(31,34,19,196)	(93,66,62,502)
घटा — आय एवं व्यय लेखा में से हस्तांतरित व्यय का आय से आधिक्य	-	-
वर्ष के अंत में शेष	(31,34,19,196)	(93,66,62,502)

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 2 — अभिहित/उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ

राशि रूपये में

विवरण	निधिवार विवरण				कुल	
	निधि अ अ अ	निधि ब ब ब	निधि स स स	अक्षय निधियाँ	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
अ.						
क) आदि शेष	-	-	-	-	-	-
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
ग) निधियों में से किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-	-
घ) निवेश/अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	-	-	-	-
ड) बचत बैंक खाते पर ब्याज	-	-	-	-	-	-
च) अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल (अ)	-	-	-	-	-	-
ब.						
निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/व्यय						
क) पूँजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-
ख) राजस्व व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल (ब)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में अंतः शेष (अ–ब)	-	-	-	-	-	-
निम्नलिखित द्वारा दर्शाया गया है—						
नकद एवं बैंक शेष	-	-	-	-	-	-
निवेश	-	-	-	-	-	-
प्रोद्भूत ब्याज किंतु अदेय	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 2 (अ) — अक्षय निधि

तुलन पत्र के भाग — अनुसन्धी 2 ‘निश्चित अक्षय निधियाँ’ में आंकड़ों के समर्थन के लिए उप-अनुसन्धी का नमूना संख्या

गणित एवं परम्परा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
क्र. स.	अक्षय निधि का नाम	1.04.2023 को आदि शेष	वर्ष 2023-24 के दौरान परिवर्धन	कुल	वर्ष 2023-24 के दौरान बस्तु पर किया गया व्यय	कुल (10+11)	31.03.2024				
		अक्षय निधि	संचित व्याज	अक्षय निधि	ब्याज	अक्षय निधि	संचित व्याज	अक्षय निधि	संचित व्याज		

۱۷

—
३५

1. तुलन पत्र का भाग उद्दिष्ट निधियों की अनुसूची में कॉलम 2 (अ) “अक्षय निधियाँ” में आदि शोष के रूप में कॉलम 3 एवं 4 का योग दर्शाया जाएगा।
 2. कॉलम 9 का योग कॉलम 8 के योग से सामान्यतः कम होना चाहिए, क्योंकि अक्षय निधियों की वस्तुओं (कुर्सियों के लिए, अक्षय निधि को छोड़कर) पर व्यय के लिए केवल व्याज का ही प्रयोग किया जाना है।
 3. अनुसूची में सामान्यतः कोई नामे शेष नहीं होना चाहिए। यदि किसी विरल स्थिति में, अक्षय निधि मद में कोई नामे शेष है तो वह नामे शेष अनुसूची 8— ऋण, अग्रिम तथा जमा में ‘प्राय’ के रूप में तुलन पत्र की परिसंपत्तियाँ पक्ष में दर्शाया जाना चाहिए।

डिः ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शे.अ.प.प.
नई दिल्ली-110 016

डिं. ह./-
सचिव
गा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 0

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 3 — चालू देयताएँ एवं प्रावधान

राशि रूपये में

विवरण	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
अ. चालू देयताएँ		
1. स्टाफ द्वारा जमा	-	-
2. विद्यार्थियों/विद्यालयों द्वारा जमा	-	-
3. विविध लेनदार		
क) वस्तुएँ एवं सेवाओं के लिए	36,68,56,768	31,28,62,533
ख) अन्य	-	-
4. जमा—अन्य (ई.एम.डी., प्रतिभूति जमा सहित)	12,24,02,258	8,25,29,066
5. सांविधिक देयताएँ (जी.पी.एफ., टी.डी.एस., डब्ल्यू.सी.टैक्स, सी.पी.एफ., जी.आई.एस., एन.पी.एस.)—		
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य	18,52,74,399	1,52,16,43,633
6. अन्य चालू देयताएँ		
क) वेतन	14,86,11,286	9,96,43,236
ख) पेंशन	10,86,59,943	-
ग) प्रायोजित अध्येतावृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों के संबंध में प्राप्तियाँ	-	-
घ) प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में प्राप्तियाँ	91,18,317	7,52,75,397
ड) अप्रयुक्त अनुदान	14,84,30,739	23,42,33,848
च) अग्रिम अनुदान	-	-
छ) अन्य निधियाँ	-	-
ज) अन्य देयताएँ	78,97,77,047	1,99,75,69,134
कुल (अ)	1,87,91,30,757	4,32,37,56,847
ब. प्रावधान		
1. प्रावधान	-	-
2. उपदान	78,44,12,319	73,74,50,350
3. अधिवर्षिता पेंशन	15,01,40,05,858	15,11,06,04,585
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	62,53,40,010	64,18,37,810
5. व्यापारिक वारंटी/दावे	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल (ब)	16,42,37,58,187	16,48,98,92,745
कुल (अ+ब)	18,30,28,88,944	20,81,36,49,592

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
31.03.2024 को विशिष्ट अनुदानों के अंतर्गत कोषों की स्थिति
अनुसूची 3 (अ) — प्रायोजित परियोजनाएँ

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रायोजक एजेंसी		01.04.2023 को आदि रेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ/बमूली	कुल	वर्ष के दौरान व्यय/ बहु खाते में डालना	अध्यर्थि/ प्रतिदाय	31.03.2024 को अंतिम शेष
		1	2	3	4 (2+3)	5	6 (4-5)		
1.	ग.शै.उ.प्र.प. निष्ठा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	9,60,472	-	9,60,472	9,60,472	-	-	-
2.	ग.शै.आ.प्र.प. निष्ठा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	8,62,199	-	8,62,199	8,62,199	-	-	-
3.	ग.शै.आ.प्र.प. निष्ठा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	1,23,109	-	1,23,109	1,23,109	-	-	-
4.	कला उत्सव	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	-	-	-	-	-	-	-
5.	स्वर्ण प्रभा	शिक्षा मंत्रालय	8,30,857	-	8,30,857	8,30,857	-	-	-
6.	डी.टी.एच. टीवी चैनल	शिक्षा मंत्रालय	(4,91,039)	-	(4,91,039)	(4,91,039)	-	-	-
7.	सी-डैक (सी.आई.ई.टी.)	सी-डैक	(12,439)	-	(12,439)	(12,439)	-	-	-
8.	सेटेलाइट नेटवर्क	शिक्षा मंत्रालय	(8,45,132)	-	(8,45,132)	(8,45,132)	-	-	-
9.	थर्ड पार्टी इवेल्यूएस	शिक्षा मंत्रालय	(8,88,229)	-	(8,88,229)	(8,88,229)	-	-	-
10.	ई-पीजी पाठशाला	इताहाबाद विश्वविद्यालय	(6,85,312)	-	(6,85,312)	(6,85,312)	-	-	-
11.	मूव्स (MOOCs)	शिक्षा मंत्रालय	(21,35,675)	1,01,80,000	80,44,325	(21,35,675)	1,01,80,000	-	-
12.	अधिगम के सार्वभौमिक डिजाइन (यू.टी.एल.) पर आधारित डिजिटल पाठ्यपत्रकों का विकास 'किताब एवं पढ़ें अनेक' (20.24)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	-	1,00,127	1,00,127	1,00,127	-	-	-
13.	गुणवत्तापूर्ण डिजिटल सामग्री के निर्माण के लिए पीएम ई-विद्या द्वारा ई-केंट्र प्रतियोगिता का आयोजन	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	-	-	76,80,527	76,80,527	76,80,527	-	-
14.	दीक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	(1,12,92,09,955)	55,19,38,300	(57,72,71,655)	(57,72,71,655)	-	-	-
15.	ग.शै.आ.प्र.प. निष्ठा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	(4,69,92,625)	1,64,75,633	(3,05,16,992)	(3,05,16,992)	-	-	-
16.	एन.आ.ओ.ई.आर., आई.सी.टी., मेला/आई.सी.टी. शिक्षा (सी.आई.ई.टी.) में आई.सी.टी. के उपयोग के लिए शिक्षकों के लिए गण्डीय पुस्तकार	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	(6,58,33,904)	70,000	(6,57,63,904)	(6,57,63,904)	-	-	-
17.	पी.एम. ई-विद्या का प्रबंधन—एक कक्षा, एक चैनल	शिक्षा मंत्रालय	(2,38,38,66,040)	3,02,95,76,924	64,57,10,884	64,57,10,884	-	-	-
18.	राष्ट्रीय पाठ्यचयकीकृतप्रेरणाकानिर्माण (एन.सी.एफ.)	शिक्षा मंत्रालय	(17,34,73,358)	42,72,595	(16,92,00,763)	(16,92,00,763)	-	-	-
19.	वर्द्धुअल लैब (20.24)	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	(2,13,25,277)	5,02,85,894	2,89,60,617	2,89,60,617	-	-	-
20.	प्रौद्योगिकी को मुद्रित करने हेतु, न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (फ्र.आई.ए.टी.पी.) (एम.जी.-31)	शिक्षा मंत्रालय	32,54,469	3,42,16,000	3,74,70,469	3,70,05,637	4,29,815	35,017	

राशि रूपये में

21.	5जी-32 परख	शिक्षा मंत्रालय	14,06,45,251	14,06,45,251	13,55,35,722	51,69,315	(59,786)	
22.	आर.एम.ए. के तहत क्यू.एम.टी. की	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	3,92,25,37,915	34,50,13,000	4,26,75,50,915	4,18,32,54,607	7,55,61,226	87,35,082
	पी.ए.बी. अनुमोदित परियोजना के लिए							
	एम.एम.ए. के तहत अनुदान, आर.एम.							
	एस.ए. (कला उत्सव सहित) के तहत हस्तक्षेप माध्यमिक शिक्षा में गणवत्ता को मजबूत करना— आर.एम.एस.ए. मेल, मध्यावधि सर्वेक्षण/एन.ए.एस. कक्षा 5-8 (एस.एस.ए.-ई.एस.टी.) और आर.एम.ए.स.ए.-ई.एस.टी./एन.ए.एस. के तहत माध्यमिक स्तर पर सीखने के स्तर का आधारभूत मूल्यांकन करने के लिए प्रांतिक गतिविधियाँ							
23.	पाइल मदन मोहन मालवीय गांधी शिक्षक शिक्षण मिशन, आई.यू.सी.टी.ई.	शिक्षा मंत्रालय	6,87,982	-	6,87,982	77,040	-	6,10,942
24.	ग.शे.अ.प्र.प. निष्ठा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	(3,17,265)	-	(3,17,265)	(3,17,265)	-	-
25.	ग.शे.अ.प्र.प. निष्ठा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	6,32,470	-	6,32,470	6,32,470	-	-
26.	पी.ए.बी. परियोजना— पाठ्यवर्चा एवं पाठ्यक्रम का निर्माण	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	(3,43,59,045)	-	(3,43,59,045)	(3,43,59,045)	-	-
27.	पी.ए.बी.-एस.सी.एम./आर.सी.एस./25 कार्य भूमिका	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	-	83,00,000	83,00,000	85,02,938	-	(2,02,938)
28.	ग.शे.अ.प्र.प. निष्ठा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	17,21,848	-	17,21,848	17,21,848	-	-
29.	समग्र शिक्षा के तहत विशेष प्रावधानों की प्रभावशालता एवं स्कूल अनुदान के उपयोग और गणवत्ताएँ स्कूली शिक्षा पर इसके प्रभाव पर एक अध्ययन	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	(9,58,455)	-	(9,58,455)	(9,58,455)	-	-
		कुल	7,02,17,571	4,19,87,54,251	4,26,89,71,822	4,16,85,13,149	9,13,40,356	91,18,317

विशिष्ट परियोजना के लिए उपयोग प्रमाण पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि प्राप्त अनुदान का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए किया गया है तथा उससे जुड़ी शर्तें पूरी कर ली गई हैं।
- विशिष्ट अनुदान का नाम शेष (क्रूणालम्बक शेष) अनुसूची 8 क्रम एवं अग्रिम में दिखाया गया है।

प्रिय ह. /—
मुख्य लोकाधिकारी
रा.शे.अ.प्र.प., नई दिल्ली-110 016

प्रिय ह. /—
सचिव
रा.शे.अ.प्र.प., नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 3 (ब) — प्रायोजित अध्येतावृत्तियाँ एवं छात्रवृत्तियाँ

राशि रूपये में

क्र. सं.	प्रायोजक का नाम	1.04.2023 को आदि शेष		वर्ष 2023–24 के दौरान लेन-देन		31.03.2024 को अंतः शेष	
		जमा	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	-	-	-	-	-	-
2.	मंत्रालय	-	-	-	-	-	-
3.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी—

1. कॉलम 7 (जमा) का योग उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत तुलन पत्र के देयता पक्ष में दर्शाया जाएगा। (अनुसूची 3)
2. कॉलम 8 (नामे) का योग अनुसूची 8 (ऋण) में तुलन पत्र के परिसंपत्तियाँ पक्ष में प्राप्त के रूप में दर्शाया जाएगा।

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 3 (स) — भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान

राशि रूपये में

	विवरण	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
अ.	पूँजी अनुदान — भारत सरकार अग्रेनीत शेष जमा — वर्ष के दौरान प्रयुक्त आंतरिक प्राप्तियाँ जमा — अर्जित ब्याज जमा — वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	-
		19,00,00,000	35,75,58,246
	कुल (क)	19,00,00,000	35,75,58,246
	घटा — प्रतिदाय घटा — राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त घटा — पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	2,33,968 -	-
		18,97,25,821	35,75,58,246
	कुल (ख)	18,99,59,789	35,75,58,246
	अप्रयुक्त अग्रेनीत (क–ख)	40,211	-
ब.	यू.जी.सी. अनुदान — पूँजीगत अग्रेनीत शेष वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	-
	कुल (ग)	-	-
	घटा — प्रतिदाय घटा — राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त घटा — पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
		-	-
	कुल (घ)	-	-
	अप्रयुक्त अग्रेनीत (ग–घ)	-	-
स.	राजस्व अनुदान — भारत सरकार अग्रेनीत शेष/सरेंडर जमा — वर्ष के दौरान प्रयुक्त आंतरिक प्राप्तियाँ जमा — अर्जित ब्याज जमा — वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	23,42,33,848 -	24,75,51,690 -
		3,30,97,00,000	3,62,54,02,459
	कुल (ड)	3,54,39,33,848	3,87,29,54,149
	घटा — प्रतिदाय घटा — राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त घटा — पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	22,98,22,222 3,15,91,39,126 65,81,972	5,33,53,840 3,57,41,12,092 1,12,54,369
		-	-
	कुल (च)	3,39,55,43,320	3,63,87,20,301
	अप्रयुक्त अग्रेनीत (ड–च)	14,83,90,528	23,42,33,848
द.	राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान अग्रेनीत शेष जमा — वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	-	-
		-	-
	कुल (छ)	-	-
	घटा — राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त घटा — पूँजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त	-	-
		-	-
	कुल (ज)	-	-
	अप्रयुक्त अग्रेनीत (छ–ज)	-	-
	कुल योग (अ+ब+स+द)	14,84,30,739	23,42,33,848

डि. ह./—

मुख्य लेखाधिकारी

रा.शै.अ.प्र.प.

नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—

सचिव

रा.शै.अ.प्र.प.

नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 — स्थायी परिसंपत्तियों का समेकित विवरण (पूँजीगत + राजस्व)

राशि रूपये में

क्र.सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड			वर्ष के लिए मूल्यहास			शुद्ध खंड
		01.04.2023 को आदि शेष	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	मूल्यहास आदि शेष	वर्ष के दौरान मूल्यहास	31.03.2024 तक मूल्यहास (5+7-8)	
1.	भूमि	37,54,08,506	-	-	37,54,08,506	-	0%	37,54,08,506
2.	भवन	1,03,68,86,984	37,29,77,927	-	1,40,98,64,911	2,07,37,740	2%	1,38,16,67,612
3.	सड़क एवं पुल	44,273	-	-	44,273	885	2%	885
4.	सीधर एवं जल निकास व्यवस्था	3,74,312	3,14,415	-	6,88,727	7,486	2%	6,288
5.	नलकूप एवं जलापूर्ति	43,57,437	13,000	-	43,70,437	87,149	2%	260
6.	विद्युत संधारन एवं उपकरण	5,49,02,080	1,78,54,848	-	7,27,56,928	27,45,103	5%	8,92,744
7.	संयंत्र एवं मशीन	1,85,64,531	5,96,110	-	1,91,60,641	9,28,228	5%	29,806
8.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	1,36,26,643	5,71,230	-	1,41,97,873	10,90,132	8%	45,699
9.	कार्यालय उपकरण	4,29,27,775	1,92,00,633	-	6,21,28,408	32,19,584	7.50%	14,40,046
10.	श्रव्य-द्रव्य उपकरण	9,48,91,209	1,04,48,644	-	10,53,39,853	71,16,841	7.50%	7,83,649
11.	कंप्यूटर एवं डिस्पे पुर्ज	9,26,86,965	7,87,85,499	52,488	17,14,19,976	1,85,37,391	20%	1,57,46,601
12.	फर्मिचर, जुड़ाव एवं साज-सज्जा	13,11,81,506	4,60,45,532	-	17,72,27,038	98,38,615	7.50%	34,53,415
13.	वाहन	17,82,875	3,28,710	-	21,11,585	1,78,288	10%	32,871

14.	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	9,10,55,221	1,62,98,936	75,691	10,72,78,466	91,05,523	10%	16,22,325	-	-	1,07,27,848	9,65,50,618	9,10,55,221
15.	कम मूल्यवान परिसंपत्तियाँ	-	1,58,776	-	1,58,776	-	100%	1,58,776	-	-	1,58,776	-	-
	कुल (क)	1,95,86,90,317	56,35,94,260	1,28,179	2,52,21,56,398	7,35,92,965	3,16,72,039	-	-	10,52,65,004	2,41,68,91,394	1,95,86,90,317	
16.	अन्य (उपहारवस्तु परिसंपत्तियाँ तथा प्रशारोजित परियोजनाएँ) संदर्भ अनुतानक 04 (घ), कुल (ख)	7,21,68,604	2,93,690	-	7,24,62,293	-	20%	1,44,92,459	-	-	1,44,92,459	5,79,69,835	7,21,68,604
	कुल (क+ख)	2,03,08,58,921	56,38,87,950	1,28,179	2,59,46,18,692	7,35,92,965	4,61,64,498	-	-	11,97,57,463	2,47,48,61,229	2,03,08,58,921	
17.	चालू पूँजीगत कार्य (ग)	8,46,36,520	-	8,46,36,520	-	-	-	-	-	-	-	8,46,36,520	

क्र. सं.	अमृत परिसंपत्तियाँ	आदि शेष	परिवर्धन	कटौतियाँ	अंतः शेष	मूल्यहास आदि शेष	कर	वर्ष के लिए परिशोधन	कटौतियाँ/ समाचारेजन	कुल परिशोधन/ समाचारेजन	31.03.2024	31.03.2023
18.	कायदा संपादनेय	67,93,453	40,10,395	-	1,08,03,848	27,17,380	40%	16,04,158	-	43,21,538	64,82,310	67,93,453
19.	ई-पत्रिकाएँ	17,12,561	16,14,077	-	33,26,638	6,85,024	40%	6,45,630	-	13,30,654	19,95,984	17,12,561
20.	पेट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (द)	85,06,014	56,24,472	-	1,41,30,486	34,02,404	22,49,788	-	56,52,192	84,78,294	85,06,014	

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शे.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शे.अ.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूती 4 (अ) — स्थायी परिसंपत्तियाँ (पूँजीगत)

राशि रूपये में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड				वर्ष के लिए मूल्यहास				शुद्ध खंड	
		01.04.2023 को आविशेष	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के दौरान कर्तृतियाँ	31 मार्च, 2024 को (I+2-3)	मूल्यहास आविशेष	वर्ष के दौरान मूल्यहास	वर्ष के दौरान मूल्यहास	31.03.2024 तक कुल मूल्यहास (5+7-8)	31.03.2023 (4-10)	31.03.2024 (4-10)
1.	भूमि	37,54,08,506	-	-	37,54,08,506	-	0%	-	-	-	37,54,08,506
2.	भवन	1,00,00,17,497	37,29,77,927	-	1,37,29,95,424	2,00,00,350	2%	74,59,559	-	2,74,59,909	1,34,55,35,515
3.	सड़क एवं पुल	44,273	-	-	44,273	885	2%	-	-	885	43,388
4.	सीधार एवं जल निकास लावक्षा	2,74,220	3,14,415	-	5,88,635	5,484	2%	6,288	-	11,772	5,76,863
5.	नलिक्षण एवं जलालपूर्ति उपकरण	43,48,102	13,000	-	43,61,102	86,962	2%	260	-	87,222	42,73,880
6.	विद्युत संचापन एवं उपकरण	3,97,88,634	1,75,21,639	-	5,73,10,273	19,89,431	5%	8,76,084	-	28,65,515	5,44,44,758
7.	संस्करण और संस्करण	1,10,47,105	3,85,610	-	1,14,32,715	5,52,356	5%	19,281	-	5,71,637	1,08,61,078
8.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	37,94,428	1,73,770	-	39,68,198	3,03,555	8%	13,902	-	3,17,457	36,50,741
9.	कार्यालय उपकरण	2,69,42,017	1,84,58,986	-	4,54,01,003	20,20,651	7.50%	13,84,423	-	34,05,074	4,19,95,929
10.	श्रव्यादृश्य उपकरण	4,27,21,923	1,04,32,732	-	5,31,54,655	32,04,144	7.50%	7,82,456	-	39,86,600	4,91,68,055
11.	कंप्यूटर एवं हिस्मे पुँजी	5,98,46,177	7,67,58,275	-	13,66,04,452	1,19,69,235	20%	1,53,51,654	-	2,73,20,889	10,92,83,563
12.	फर्मिचर, जुड़गां एवं साज-सज्जा	7,31,93,641	4,53,27,552	-	11,85,21,193	54,89,525	7.50%	33,99,566	-	88,89,091	10,96,32,102
13.	वाहन	17,51,944	3,20,000	-	20,71,944	1,75,195	10%	32,000	-	2,07,195	18,64,749
14.	पुस्तकालय की प्रतरक्ष एवं वैज्ञानिक प्रतिकार	2,31,56,498	-	-	2,31,56,498	23,15,651	10%	-	-	23,15,651	2,08,40,847
15.	कम मूल्यवान परिसंपत्तियाँ	-	1,43,063	-	1,43,063	-	100%	1,43,063	-	1,43,063	-
	कुल (क)	1,66,23,34,965	54,28,26,969	-	2,20,51,61,934	4,81,13,424		2,94,68,536	-	7,75,81,960	2,12,75,79,974
											1,66,23,34,965

16.	अन्य (कुल व)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	कुल (का+व)	1,66,23,34,965	54,28,26,969	-	2,20,51,61,934	4,81,13,424	2,94,68,536	-	7,75,81,960	2,12,75,79,974	1,66,23,34,965
17.	चालू पुँजीगत कार्य (प्र)	8,46,36,520	-	8,46,36,520	-	0%	-	-	-	8,46,36,520	

क्र. सं.	अमूर्त पारिसंपत्तियाँ	आदि शेष	परिवर्धन	कठीनियाँ	अंतः शेष	मूल्यहास अदि शेष	वर्ष के लिए पारिशोधन की दर	मूल्यहास की दर	कठीनियाँ/समायोजन	कुल परिशोधन / समायोजन	31.03.2024	31.03.2023
18.	कंव्यूटर सॉफ्टवेयर	39,75,896	32,00,395	-	71,76,291	15,90,358	40%	12,80,158	-	28,70,516	43,05,775	39,75,896
19.	ई-प्रिकार्प	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	पेंट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (व)	39,75,896	32,00,395	-	71,76,291	15,90,358	-	12,80,158	-	28,70,516	43,05,775	39,75,896

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण पोर्षद्

अनुसूची 4 (ब) — स्थायी परिसंपत्तियाँ (राजस्व)

राशि रूपये में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल बहु					वर्ष के लिए मूल्यहास					शुद्ध बहु
		01.04.2023 को आदि रोप	वर्ष के दौरान परिवर्तन	वर्ष के दौरान कठोरतियाँ	31 मार्च, 2024 (1+2-3)	मूल्यहास आवृत्ति	वर्ष के दौरान मूल्यहास	कठोरतियाँ/समाप्तीजन	31.03.2024 तक मूल्यहास (5+7-8)	31.03.2024 (4-10)		
1.	भूमि	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	
2.	भवन	3,68,69,487	-	-	3,68,69,487	7,37,390	2%	-	-	7,37,390	3,61,32,097	
3.	सड़क एवं पुल	-	-	-	-	-	2%	-	-	-	-	
4.	सीधार एवं जल निकास व्यवस्था	1,00,092	-	-	1,00,092	2,002	2%	-	-	2,002	98,090	
5.	नलकूप एवं जलापृष्ठ	9,335	-	-	9,335	187	2%	-	-	187	9,148	
6.	विद्युत संसाधन एवं उपकरण	1,51,13,446	3,33,209	-	1,54,46,655	7,55,672	5%	16,660	-	7,72,332	1,46,74,323	
7.	संयंत्र एवं मशीन	75,17,426	2,10,500	-	77,27,926	3,75,872	5%	10,525	-	3,86,397	73,41,529	
8.	वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	98,32,215	3,97,460	-	1,02,29,675	7,86,577	8%	31,797	-	8,18,374	94,11,301	
9.	कार्यालय उपकरण	1,59,85,758	7,41,647	-	1,67,27,405	11,98,933	7.5%	55,623	-	12,54,556	1,54,72,849	
10.	श्राव्य-द्रुया उपकरण	5,21,69,286	15,912	-	5,21,85,198	39,12,697	7.5%	1,193	-	39,13,890	4,82,71,308	
11.	कंप्यूटर एवं हिस्पे पुर्जे	3,28,40,788	20,27,224	52,488	3,48,15,524	65,68,156	20%	3,94,947	-	69,63,103	2,78,52,421	
12.	फर्मिचर, जड़नार एवं साज-सज्जा	5,79,87,865	7,17,980	-	5,87,05,845	43,49,090	7.5%	53,849	-	44,02,939	5,43,02,906	
13.	वाहन	30,931	8,710	-	39,641	3,093	10%	871	-	3,964	35,677	

14.	पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक प्रक्रियाएँ	6,78,98,723	1,62,98,936	75,691	8,41,21,968	67,89,872	10%	16,22,325	-	-	84,12,197	7,57,09,771	6,78,98,723
15.	कम मूल्यवान परिस्पत्तियाँ	-	15,713	-	15,713	-	100%	15,713	-	-	15,713	-	-
	कुल (क)	29,63,55,352	2,07,67,291	1,28,179	31,69,94,464	2,54,79,541		22,03,503	-	-	2,76,83,044	28,93,11,420	29,63,55,352
16.	अन्य (कुल ब)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (क-न्य)	29,63,55,352	2,07,67,291	1,28,179	31,69,94,464	2,54,79,541		22,03,503	-	-	2,76,83,044	28,93,11,420	29,63,55,352
17.	चालत पूँजीगत कार्य (ग)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

क्र. सं.	अमर्त परिस्पत्तियाँ	आदि शेष	परिवर्धन	कर्तौतियाँ	अंत: शेष	मूल्यहास आंदि शेष	मूल्यहास की दर	वर्ष के लिए परिशोधन	कर्तौतियाँ/ समाचारन	कुल परिशोधन/ समाचारन	31.03.2024	31.03.2023
18.	कंधार सॉटवेयर	28,17,557	8,10,000	-	36,27,557	11,27,022	40%	3,24,000	-	14,51,022	21,76,535	28,17,557
19.	ई-प्रिकार्ट	17,12,561	16,14,077	-	33,26,638	6,85,024	40%	6,45,630	-	13,30,654	19,95,984	17,12,561
20.	पेट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (द)	45,30,118	24,24,077	-	69,54,195	18,12,046	-	9,69,630	-	27,81,676	41,72,519	45,30,118

डि. ह./—
मुख्य लोकाधिकारी
ग.शे.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

सचिव
ग.शे.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण पोर्षद्

अनुसूची 4 (स) — पैंडु

राशि रूपये में

क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	सकल खंड			वर्ष के लिए मूल्यहास			शुद्ध खंड
		1.04.2023 को आदि शेष	परिवर्धन	कठोरियाँ	अंतः शेष	मूल्यहास आदि शेष	वर्ष के द्वारा न कठोरियाँ कठोरियाँ	
1.	पेटेट एवं प्रकाशनाधिकार	-	-	-	-	-	-	-
2.	कंयूटर सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-
3.	ई-प्रिकार्ट	-	-	-	-	-	-	-

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
 रा.श्री.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
 रा.श्री.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 4 (द) — परिसंपत्तियाँ— अन्य (उपहारस्वरूप और प्रायोजित परियोजनाएँ)

गणि रूपये में

		सकल खंड				शुद्ध खंड			
क्र. सं.	परिसंपत्तियाँ शीर्ष	01.04.2023 को आदि शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	31 मार्च 2024 को (1+2-3)	कॉलम सं. 4 का 20%	कुल	31.03.2024 (4-6)	31.03.2023
1.	विशिष्ट अमुदां से अर्जित परिसंपत्तियाँ तथा उपहार स्वरूप परिसंपत्तियाँ	7,21,68,604	2,93,690	-	7,24,62,293	1,44,92,459	1,44,92,459	5,79,69,835	7,21,68,604
	कुल (क)	7,21,68,604	2,93,690		7,24,62,293	1,44,92,459	1,44,92,459	5,79,69,835	7,21,68,604
2.	वालू-मुर्गीन कर्प (छ)	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग (क + छ)	7,21,68,604	2,93,690		7,24,62,293	1,44,92,459	1,44,92,459	5,79,69,835	7,21,68,604

गणि	
उपहारस्वरूप	
उद्घाट निधियाँ	
प्रायोजित परियोजनाएँ	
निजी निधियाँ	
कुल	2,93,690

*वर्ष के दौरान परिवर्धनों में जिम्मेदारित शामिल है—

गणि	
उपहारस्वरूप	
उद्घाट निधियाँ	
प्रायोजित परियोजनाएँ	
निजी निधियाँ	
कुल	2,93,690

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
ग.शे.अ.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
ग.शे.अ.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 5 — उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश

राशि रूपये में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		2023–24	2022–23
1.	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
3.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
4.	शेयर	-	-
5.	ऋण पत्र तथा बॉन्ड	-	-
6.	बैंक में मियादी जमा	-	-
7.	अन्य (निर्दिष्ट की जाए)	-	-
कुल		-	-

अनुसूची 5 (अ) — उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में से निवेश (निधिवार)

राशि रूपये में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		2023–24	2022–23
1.	अक्षय निधि निवेश	-	-
कुल		-	-

टिप्पणी — इस उप-अनुसूची का योग अनुसूची 5 के योग के अनुकूल होना चाहिए।

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 6—निवेश – अन्य

राशि रूपये में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		2023–24	2022–23
1.	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में	-	-
3.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
4.	शेयर	-	-
5.	सामान्य भविष्य निधि में से सृजित ऋण पत्र तथा बॉन्ड	-	1,60,00,000
6.	अन्य (निर्दिष्ट करें)		
	(अ) सामान्य भविष्य निधि से सृजित दीर्घकालीन जमा*	-	1,49,32,97,306
	(ब) अल्पकालीन जमा	-	-
कुल		-	1,50,92,97,306

*इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश शामिल है।

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 7 — चालू परिसंपत्तियाँ

राशि रूपये में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
		2023–24	2022–23
1. स्टॉक			
क) भंडार-मुद्रण कागज़		-	-
ख) खुले उपकरण		-	-
ग) प्रकाशन		1,72,48,05,601	2,59,90,19,313
घ) प्रयोगशाला रसायन, उपभोज्य वस्तुएँ एवं काँच के बर्तन		-	-
ड) भवन सामग्री		-	-
च) लेखन सामग्री		-	-
छ) जलापूर्ति सामग्री		-	-
2. विविध देनदार			
क) छ: माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण		-	-
ख) अन्य		1,37,10,609	1,49,01,955
3. नकद एवं बैंक शेष			
क) अनुसूचित बैंकों के पास—		-	-
- चालू खातों में		25,500	43,300
- मियादी जमा खातों में		10,70,00,18,101	10,20,00,18,101
- बचत खातों में		1,16,46,40,931	1,16,26,85,435
ख) गैर अनुसूचित बैंकों के पास—			
- मियादी जमा खातों में		-	-
- बचत खातों में		-	-
4. प्राप्य टी.डी.एस.		50,76,291	7,71,08,621
कुल	13,60,82,77,033	14,05,37,76,725	

टिप्पणी — अनुसूची 7 (अ) में बैंक खातों का विवरण दर्शाया गया है।

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 7 (अ) — बैंक खातों का विवरण

राशि रूपये में

बैंक खातों का विवरण	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
I. बचत बैंक खाते		
1. यू.जी.सी. खाते से अनुदान	-	-
2. विश्वविद्यालय प्राप्तियाँ खाता	-	-
3. छात्रवृत्ति खाता	-	-
4. अकादमिक प्राप्तियाँ खाता	-	-
5. विकास (पूँजी) खाता	-	-
6. संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सी.बी.टी.) खाता	-	-
7. समग्र निधि खाता (ई.एम.एफ.)	-	-
8. प्रायोजित परियोजना निधि खाता	-	-
9. प्रायोजित अध्येतावृत्ति खाता	-	-
10. अक्षय निधि एवं चेयर खाता (ई.एम.एफ.)	-	-
11. यू.जी.सी., जे.आर.एफ. अध्येतावृत्ति (ई.एम.एफ.)	-	-
12. एच.बी.ए. निधि खाता	-	-
13. वाहन खाता (ई.एम.एफ.)	-	-
14. यू.जी.सी. राजीव गाँधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (ई.एम.एफ.)	-	-
15. अकादमिक विकास निधि खाता	-	-
16. जमा खाता		
i. (एस.बी.आई.खाता सं. 00000030078164863)– शिलांग	72,43,215	89,78,451
ii. (एस.बी.आई.खाता सं. 30174112500)– भुवनेश्वर	4,16,61,891	4,16,94,317
iii. (एस.बी.आई.खाता सं. 00000054035460003)– मैसूरू	4,24,69,190	4,10,84,139
iv. (एस.बी.आई.खाता सं. 10200605652)– अजमेर	2,53,96,140	3,22,60,009
v. (एस.बी.आई.खाता सं. 10137881284)– सी.आई.ई.टी.	1,92,01,117	1,30,70,124
vi. (एस.बी.आई.खाता सं. 10137881342)– प्रकाशन	55,89,57,377	19,46,52,856
vii. (एस.बी.आई.खाता सं. 10121604354)– पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई., भोपाल	2,52,41,469	2,69,97,172
viii. (एस.बी.आई.खाता सं. 10137881331)– मुख्यालय, दिल्ली	34,64,25,446	73,94,48,062
ix. (एस.बी.आई.खाता सं. 10026515348)– भोपाल	8,84,31,384	5,51,40,987
x. (एस.बी.आई.खाता सं. 64214245932)– मैसूरू	9,471	10,120
xi. (एस.बी.आई.खाता सं. 64072949232)– मैसूरू	1,00,000	1,00,000
xii. (एस.बी.आई.खाता सं. 38631734783)– मैसूरू	9,385	9,135
xiii. (एस.बी.आई.खाता सं. 38950734642)– मैसूरू	2,71,658	2,66,247
xiv. (एस.बी.आई.खाता सं. 37614943571)– मुख्यालय, दिल्ली	30,221	29,416
xv. (एस.बी.आई.खाता सं. 36242012130)– मुख्यालय, दिल्ली	91,16,551	88,70,018
xvi. (एस.बी.आई.खाता सं. 36189339869)– मुख्यालय, दिल्ली	76,416	74,382
17. विद्यार्थी निधि खाता	-	-
18. विद्यार्थी सहायता निधि खाता	-	-
19. विशिष्ट योजनाओं के लिए पूँजीगत अनुदान	-	-
II. चालू खाता	25,500	43,300
III. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा	10,70,00,18,101	10,20,00,18,101
कुल	11,86,46,84,532	11,36,27,46,836

डि. ह./–
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./–
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 8 — क्रण, अग्रिम एवं जमा

राशि रूपये में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
1.	कर्मचारियों को अग्रिम (ब्याज रहित) —		
	क) वेतन	-	-
	ख) त्यौहार	-	-
	ग) चिकित्सा अग्रिम	-	-
	घ) अन्य	5,22,791	2,60,586
2.	कर्मचारियों को दीर्घावधि अग्रिम (ब्याज वाहक) —		
	क) वाहन क्रण	2,29,864	2,86,970
	ख) गृह क्रण	1,31,42,618	1,20,90,689
	ग) कंप्यूटर	22,97,137	30,51,507
3.	नकद अथवा वस्तु में अथवा मूल्य के रूप में प्राप्ति योग्य अग्रिम तथा अन्य धन राशियाँ —		
	क) पूँजीगत खातों पर	-	-
	ख) आपर्तिकर्ताओं को	67,33,244	67,33,244
	ग) के.लॉ.नि.वि. अग्रिम	1,65,06,36,543	1,77,74,95,821
	घ) अन्य	1,63,49,796	1,66,40,918
4.	पूर्व प्रदत्त व्यय —		
	क) बीमा	18,981	91,038
	ख) अन्य व्यय	2,16,411	1,01,67,698
5.	जमा —		
	क) टेलीफोन	-	-
	ख) पट्टा किराया	-	-
	ग) बिजली	-	-
	घ) ए.आई.सी.टी.ई. (लागू नहीं)	-	-
	ड) अन्य	-	10,02,625
6.	प्रोद्भूत आय —		
	क) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेशों पर	-	-
	ख) निवेशों पर-अन्य	-	8,44,87,354
	ग) निवेशों पर एस.टी.डी.	20,24,86,164	16,85,32,849
	घ) क्रण एवं अग्रिमों पर	27,98,476	20,20,258
	ड) अन्य (अप्राप्त देय आय शामिल हैं)	-	-
7.	अन्य — यू.जी.सी./प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्त चालू परिसंपत्तियाँ —		
	क) प्रायोजित परियोजनाओं में नामे शेष	-	50,57,826
	ख) प्रायोजित अध्येतावृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों में नामे शेष	(1,13,97,449)	61,34,592
	ग) प्राप्य अनुदान	-	-
	घ) अन्य प्राप्य	(95,81,384)	7,24,57,629
8.	प्राप्य दावे	2,34,00,000	2,34,00,000
	कुल	1,89,78,53,192	2,18,99,11,604

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 8 (अ) — प्रायोजित परियोजनाओं के संदर्भ में देनदार

राशि रूपये में

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रायोजक एजेंसी	प्रायोजक को आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ/वसूलियाँ	वापसी	कुल	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	31.03.2024 को अंतः शेष
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7 (5-6)		
1.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

विशिष्ट परियोजना के लिए उपयोग प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया और इसके साथ संलग्न शर्तों को भी यथोचित पूरा किया गया है।

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

ख. आय एवं व्यय लेखा

01.04.2023 से 31.03.2024

राशि रूपये में

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
आय			
अकादमिक प्राप्तियाँ	9	9,94,99,950	11,03,00,394
अनुदान/आर्थिक सहायता	10	3,15,91,39,126	3,57,41,12,092
निवेशों से आय	11	84,22,39,568	47,66,69,232
अर्जित ब्याज	12	2,79,76,692	2,05,50,597
अन्य आय	13	4,60,01,44,144	6,13,27,17,514
पूर्वावधि आय	14	13,70,71,182	46,87,624
कुल (अ)		8,86,60,70,662	10,31,90,37,453
व्यय			
स्टाफ भुगतान एवं हितलाभ (स्थापना व्यय)	15	3,32,60,61,140	3,07,64,31,022
अकादमिक व्यय	16	4,16,73,35,946	5,03,69,90,449
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	17	89,81,04,014	63,16,17,554
परिवहन व्यय	18	22,11,354	33,56,201
मरम्मत एवं रख-रखाव	19	11,51,87,058	35,78,46,297
वित्त लागतें	20	3,05,899	1,13,172
अन्य व्यय	21	-	3,70,20,743
पूर्वावधि व्यय	22	1,83,38,791	15,34,05,119
मूल्यहास	4	12,54,09,655	10,53,41,397
कुल (ब)		8,65,29,53,856	9,40,21,21,954
आय की व्यय से अधिकता (अ-ब) के परिणामस्वरूप		21,31,16,806	91,69,15,499
अभिहित निधि में/से हस्तांतरण		-	-
भवन निधि		-	-
अन्य (निर्दिष्ट करें)		-	-
शेष का आधिक्य (घाटा) होने के कारण पूँजीगत निधि में ले जाया गया		21,31,16,806	91,69,15,499
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	23		
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखों पर टिप्पणियाँ	24		

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 9 — अकादमिक प्राप्तियाँ

राशि रूपये में

विवरण	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
विद्यार्थियों से शुल्क		
अकादमिक		
1. शिक्षा शुल्क	2,38,74,202	1,11,26,974
2. प्रवेश शुल्क	33,76,261	27,27,994
3. नामांकन शुल्क	-	-
4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क	15,68,200	8,79,200
5. प्रयोगशाला शुल्क	17,12,200	17,80,300
6. कला एवं शिल्प शुल्क	-	-
7. पंजीकरण शुल्क	7,19,500	4,57,800
8. पाठ्य-विवरण शुल्क	10,41,250	31,600
कुल (क)	3,22,91,613	1,70,03,868
परीक्षाएँ		
1. प्रवेश परीक्षा शुल्क	-	-
2. वार्षिक परीक्षा शुल्क	1,67,105	4,36,914
3. अंक पत्रक, प्रमाण पत्र शुल्क	-	-
4. प्रवेश परीक्षा शुल्क	-	-
कुल (ख)	1,67,105	4,36,914
अन्य शुल्क		
1. पहचान पत्र शुल्क	1,05,750	2,92,410
2. जुर्माना/विविध शुल्क/अन्य शुल्क	83,71,317	2,12,89,783
3. चिकित्सा शुल्क	6,98,875	6,84,300
4. परिवहन शुल्क	-	8,200
5. कंप्यूटर प्रयोगशाला विकास शुल्क	23,50,200	20,73,600
6. छात्रावास शुल्क	18,80,000	16,59,275
कुल (ग)	1,34,06,142	2,60,07,568
प्रकाशनों की बिक्री		
1. प्रवेश पत्रों की बिक्री	10,89,951	2,63,500
2. पाठ्य-विवरण तथा प्रश्न पत्र आदि की बिक्री	-	-
3. प्रवेश पत्र सहित विवरण पत्रिका की बिक्री	-	-
कुल (घ)	10,89,951	2,63,500
अन्य अकादमिक प्राप्तियाँ		
1. कार्यशालाएँ, कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण शुल्क	-	-
2. पंजीकरण शुल्क (अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय)	-	-
3. लाइसेंस शुल्क	5,25,45,139	6,65,88,544
कुल (ड)	5,25,45,139	6,65,88,544
कुल योग (क + ख + ग + घ + ड)	9,94,99,950	11,03,00,394

डि. ह./—

मुख्य लेखाधिकारी

रा.शै.अ.प्र.प.

नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—

सचिव

रा.शै.अ.प्र.प.

नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 10 — अनुदान/सहायिकायाँ (प्राप्ति अशोध अनुदान) 2023-24

राशि रूपये में

विवरण	पैंजी	कुल पैंजी	राजस्व यू.जी.सी./भारत सरकार	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
भारत सरकार	यू.जी.सी.				
	पैंजी विशिष्ट योजना				
अग्रेनीत शेष	-	-	23,42,33,848	23,42,33,848	24,75,51,690
जमा — आंतरिक प्राप्ति	-	-	-	-	-
जमा — वर्ष के दौरान प्राप्त व्याज	-	-	-	-	-
जमा — वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	19,00,00,000	-	19,00,00,000	3,30,97,00,000	3,49,97,00,000
कुल	19,00,00,000	-	19,00,00,000	3,54,39,33,848	3,73,39,33,848
घटा — यू.जी.सी./भारत सरकार को वापसी/संदर्भ	2,33,968	-	2,33,968	22,98,22,222	23,00,56,190
शेष	18,97,66,032	-	18,97,66,032	3,31,41,11,626	3,50,38,77,658
घटा — पैंजीगत व्यय के लिए प्रयुक्त (अ)	18,97,25,821	-	18,97,25,821	65,81,972	19,63,07,793
शेष	40,211	-	40,211	3,30,75,29,654	3,30,75,69,865
घटा — राजस्व व्यय के लिए प्रयुक्त (ब)	-	-	-	3,15,91,39,126	3,15,91,39,126
शेष अग्रेनीत (स)	40,211	-	40,211	14,83,90,528	14,84,30,739
				23,42,33,848	

अ. वर्ष के दौरान पैंजीगत निधि में परिवर्धन और स्थायी परिसंपत्तियों में परिवर्धन के रूप में दर्शाया गया है।

ब. आय और व्यय लेखा में आय के रूप में दर्शाया गया है।

स. 1) तुलन पत्र में चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा अगले वर्ष में आदि शेष बन जाएगा।

2) परिसंपत्तियाँ पक्ष में बैंक शेष, निवेशों तथा अप्रिमों द्वारा दर्शाया गया है।

टिप्पणी — राजस्व यू.जी.सी. से अनुदान की राशि भारत सरकार से अनुदान को दर्शाती है।

डि. ह./—
 मुख्य लेखाधिकारी
 ग.शे.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
 सचिव
 ग.शे.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 11 — निवेशों से आय

राशि रूपये में

क्र. सं.	विवरण	उद्दिष्ट/अक्षय निधि		अन्य निवेश	
		चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1.	ब्याज				
	सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
	अन्य बंध पत्र/ऋणपत्र	-	-	-	-
2.	मियादी जमा पर ब्याज				
	दीर्घकालीन	-	-	-	8,63,20,036
	अल्पकालीन	-	-	84,07,68,506	38,94,57,510
3.	निम्बत पर आय ग्रोद्भूत किंतु देय नहीं				
	मियादी जमा/कर्मचारियों को सब्याज	-	-	-	-
	कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	-	-
4.	बचत बैंक खातों पर ब्याज				
		-	-	-	-
5.	अन्य (निर्दिष्ट करें)				
	ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	-	-	14,71,062	8,91,686
	बैंक गारंटी पर ब्याज	-	-	-	-
	कुल	-	-	84,22,39,568	47,66,69,232
	उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में स्थानांतरित	-	-	-	-
	शेष	-	-	-	-

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 12 — अर्जित ब्याज

राशि रूपये में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
1.	अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	2,79,76,692	2,05,50,597
2.	ऋणों पर	-	-
	अ) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
	ब) अन्य	-	-
3.	देनदार तथा अन्य प्राप्तों पर	-	-
	कुल	2,79,76,692	2,05,50,597

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुमूली 13 — अन्य आय

राशि रुपये में

विवरण	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
अ. भूमि एवं भवन से आय		
1. छात्रावास कक्ष किराया	-	-
2. लाइसेंस शुल्क	-	-
3. सभागार/खेल-कूद मैदान/समागम केंद्र आदि का भाड़ा	-	-
4. वसूल किए गए विद्युत प्रभार	-	-
5. वसूल किए गए जल प्रभार	-	-
कुल (अ)	-	-
ब. संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री	2,65,04,74,549	4,12,18,57,421
	कुल (ब)	2,65,04,74,549
स. आयोजनों से आय		
1. वार्षिक समारोह/खेल उत्सव से सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटा – वार्षिक समारोह/खेल उत्सव पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
2. मेलों से सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटा – मेलों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
3. शैक्षिक भ्रमणों के लिए सकल प्राप्तियाँ	-	-
घटा – भ्रमणों पर हुआ प्रत्यक्ष व्यय	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट एवं पृथक रूप से दर्शाया जाना है।	-	-
कुल (स)	-	-
द. अन्य		
1. परामर्शी सेवा से आय	-	-
2. सूचना का अधिकार शुल्क	4,743	5,019
3. रॉयलटी से आय	47,59,22,840	46,87,75,211
4. विज्ञान किटों की बिक्री	1,28,16,10,569	1,40,81,86,477
5. विविध प्राप्तियाँ (निविदा फार्म, रद्दी कागज आदि की बिक्री)	25,95,420	2,66,91,943
6. स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	-	-
7. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	-	-
क) निजी परिसंपत्तियाँ	(10,968)	3,16,220
ख) नि:शुल्क प्राप्त परिसंपत्तियाँ	-	-
8. संस्थानों, कल्याण निकायों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुदान/दान	-	-
9. अन्य	-	-
संपत्ति पर निवेश से आय	2,70,55,760	2,56,07,028
छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	9,85,561	37,04,031
के.स.स्वा.यो. अंशदान	1,03,63,176	1,01,54,486
मृत्यु राहत योजना (डी.आर.एस.)	4,38,025	1,96,833
विविध प्राप्तियाँ	15,07,04,469	6,72,22,845
कुल (द)	1,94,96,69,595	2,01,08,60,093
कुल योग (अ+ब+स+द)	4,60,01,44,144	6,13,27,17,514

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 14 — पूर्वावधि आय

राशि रूपये में

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
1.	अकादमिक प्राप्तियाँ	-	-
2.	निवेशों से आय	-	-
3.	अर्जित ब्याज	-	-
4.	अन्य आय	13,70,71,182	46,87,624
	कुल	13,70,71,182	46,87,624

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसंधानी 15 — स्टाफ भुगतान एवं हितलाभ (स्थापना व्यय)

राशि रूपये में

विवरण	चालू वर्ष 2023-24			पिछला वर्ष 2022-23		
	पैंजी	राजस्व	कुल	पैंजी	राजस्व	कुल
क) वेतन एवं मजदूरी	-	1,72,00,48,827	1,72,00,48,827	-	1,46,44,04,244	1,46,44,04,244
ख) भते एवं बोनस	-	11,79,25,885	11,79,25,885	-	11,85,29,653	11,85,29,653
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-	-	-	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें) — प.पी.एस.	-	7,23,10,967	7,23,10,967	-	6,09,06,507	6,09,06,507
ड) स्टाफ कल्याण व्यय	-	9,31,633	9,31,633	-	15,47,123	15,47,123
च) सेवानिवृत्ति एवं सेवात हितलाभ	-	1,41,44,71,033	1,41,44,71,033	-	1,28,95,71,117	1,28,95,71,117
छ) ए.ल.टी.सी. सुविधा (बकाया)	-	-	-	-	-	-
ज) चिकित्सा सुविधा (बकाया)	-	-	-	-	-	-
झ) सतान शिक्षा भता	-	-	-	-	-	-
ञ) मानवेय	-	-	-	-	-	-
ट) अन्य (निर्दिष्ट की जाए)	-	-	-	-	-	-
मूल्य गहत योजना (डी.आर.एस.)	-	3,72,795	3,72,795	-	2,49,333	2,49,333
के.स.स्वा.यो.	-	-	-	-	3,02,50,633	3,02,50,633
डी.एल.आई.एस.	-	-	-	-	2,40,000	2,40,000
एल.एस.पी.सी.	-	-	-	-	46,74,084	46,74,084
त्वैहार व्यय	-	-	-	-	-	-
सामान्य भविष्य निधि पर खाजन व्यय	-	-	-	-	10,60,58,328	10,60,58,328
कुल	-	3,32,60,61,140	3,32,60,61,140	-	3,07,64,31,022	3,07,64,31,022

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
ग.श्री.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
ग.श्री.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
अनुसूची 15 (अ) — कर्मचारी सेवानिवृत्ति और सेवांत हितलाभ

राशि रूपये में

विवरण	पेंशन	उपादान	छठटी नकदीकरण	कुल
01.04.2023 को आदि शेष	15,11,06,04,585	73,74,50,350	64,18,37,810	16,48,98,92,745
जमा— अन्य संगठनों से ग्रात राशि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	-	-	-	-
कुल (अ)	15,11,06,04,585	73,74,50,350	64,18,37,810	16,48,98,92,745
घटा— वर्ष (ब) के दौरान वास्तविक भुगतान	1,35,66,10,179	7,74,86,243	4,65,09,169	1,48,06,05,591
31.03.2024 को उपलब्ध शेष स (अ – ब)	13,75,39,94,406	65,99,64,107	59,53,28,641	15,00,92,87,154
बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2024 को अपेक्षित प्रावधान (द)	15,01,40,05,858	78,44,12,319	62,53,40,010	16,42,37,58,187
क. चालू वर्ष 2023–24 में किया जाने वाला प्रावधान (द – स)	1,26,00,11,452	12,44,48,212	3,00,11,369	1,41,44,71,033
ख. नई पेंशन योजना में अंशदान	-	-	-	-
ग. सेवानिवृत कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	-	-	-	-
घ. सेवानिवृति पर मूलनिवास स्थान को यात्रा	-	-	-	-
ड. जमा लिंक बीमा भुगतान	-	-	-	-
कुल (क+ख+ग+घ)	1,26,00,11,452	12,44,48,212	3,00,11,369	1,41,44,71,033

टिप्पणी—

- इस उप-अनुसूची का योग (क+ख+ग+घ) अनुसूची 15 में सेवानिवृति तथा सेवांत हितलाभ की राशि के रूप में दर्शाया जाएगा।
- मद्देख, ग, घ एवं ड का प्रेदभवन आधार पर लेखा किया जाएगा तथा इसमें 31.03.2024 को अधिमात्य किंतु भुगतान के लिए बकाया बिल शामिल होंगे।

डि. ह./—
 सचिव
 राष्ट्रीय अप्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
 मुख्य लेखाधिकारी
 राष्ट्रीय अप्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 16—अकादमिक व्यय

राशि रुपये में

विवरण	चालू वर्ष 2023-24			पिछला वर्ष 2022-23		
	पूँजीगत	राजस्व	कुल	पूँजीगत	राजस्व	कुल
क. प्रयोगशाला व्यय	-	32,63,628	32,63,628	-	12,22,813	12,22,813
ख. क्षेत्र कार्यसम्पेलानों में प्रतिभागिता	-	-	-	-	-	-
ग. संगठितों/ कार्यशालाओं पर व्यय	-	46,16,38,063	46,16,38,063	-	46,37,39,714	46,37,39,714
घ. विजिटिंग फैकल्टी को भ्यातान	-	-	-	-	-	-
ड. परीक्षा	-	-	-	-	-	-
च. विद्यार्थी कल्याण व्यय	-	13,43,643	13,43,643	-	19,29,481	19,29,481
छ. प्रवेश व्यय	-	-	-	-	-	-
ज. दीक्षांत समारोह व्यय	-	-	-	-	-	-
झ. प्रकाशन*	-	2,39,78,48,536	2,39,78,48,536	-	3,13,39,08,116	3,13,39,08,116
ज. विज्ञान किटों की खरीद	-	1,28,16,10,569	1,28,16,10,569	-	1,40,81,86,477	1,40,81,86,477
ड. अध्येतावृत्ति/साधन- सह-योग्यता छात्रवृत्ति	-	1,23,81,735	1,23,81,735	-	1,31,05,836	1,31,05,836
ठ. अभिदान व्यय	-	-	-	-	-	-
ड. अन्य (निविष्ट करें)	-	92,49,772	92,49,772	-	1,48,98,012	1,48,98,012
	कुल	4,16,73,35,946	4,16,73,35,946		5,03,69,90,449	5,03,69,90,449

*प्रकाशन (स्टॉक में परिवर्तन शामिल है।)

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शे.अ.प.प.
नई दिल्ली-110 016

सचिव
रा.शे.अ.प.प.
नई दिल्ली-110 016

अनुसंधृती 17 — प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

राशि रूपये में

विवरण	चालू वर्ष 2023-24			पिछला वर्ष 2022-23		
	पूँजीगत	राजस्व	कुल	पूँजीगत	राजस्व	कुल
अ. अवसंरचना						
क) बिद्युत् एवं बिजली	-	6,46,94,137	6,46,94,137	-	6,30,52,868	6,30,52,868
ख) जल प्रभार	-	1,29,30,898	1,29,30,898	-	1,35,31,185	1,35,31,185
ग) बीमा	-	-	-	-	-	-
घ) किराया, दरें एवं कर (संपत्ति कर सहित)	-	1,35,59,239	1,35,59,239	-	18,99,91,776	18,99,91,776
ब. संचार						
ड) डाक एवं लोखन सामग्री	-	1,03,03,289	1,03,03,289	-	97,88,471	97,88,471
च) टेलीफोन, फैक्स तथा इंटरनेट प्रभार	-	37,57,819	37,57,819	-	30,01,163	30,01,163
स. संविदा कर्मचारियों को वेतन	-	7,26,36,115	7,26,36,115	-	4,81,08,874	4,81,08,874
द. अन्य						
छ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री (उपभोग)	-	-	-	-	6,89,316	6,89,316
ज) यात्रा एवं चाहन व्यय	-	26,80,457	26,80,457	-	5,24,495	5,24,495
झ) आतिथ्य	-	6,06,801	6,06,801	-	3,89,332	3,89,332
ज) लेखापरीक्षक पारिश्रमिक	-	1,80,662	1,80,662	-	13,36,621	13,36,621
ट) संव्याक्षात्यिक प्रभार	-	17,16,700	17,16,700	-	17,54,468	17,54,468
ठ) विज्ञप्ति एवं प्रचार	-	32,44,843	32,44,843	-	36,62,668	36,62,668
ड) पत्रिकाएँ एवं वैनिकी	-	14,949	14,949	-	60,271	60,271
ठ) कार्यालय व्यय	-	20,06,11,270	20,06,11,270	-	19,79,67,323	19,79,67,323
ण) अन्य	-	51,11,66,835	51,11,66,835	-	9,77,58,723	9,77,58,723
कुल	-	89,81,04,014	89,81,04,014	-	63,16,17,554	63,16,17,554

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 18—परिवहन व्यय

राशि रूपये में

विवरण	चालू वर्ष 2023–24			पिछला वर्ष 2022–23	
	पैंजीगात कुल	राजस्व कुल	पैंजीगात कुल	राजस्व	कुल
1. वाहन (संस्था के स्वामित्व में)					
अ) संचालन व्यय	-	8,90,171	8,90,171	-	9,26,197
ब) मरम्मत एवं रख-रखाव	-	7,86,840	7,86,840	-	8,62,303
स) बीमा व्यय	-	-	-	-	-
2. किराए/पटें पर लिए गए वाहन					
अ) किराया/पट्टा व्यय	-	-	-	-	-
3. वाहन (टैक्सी) भाड़ा व्यय	-	5,34,343	5,34,343	-	15,67,701
कुल	-	22,11,354	22,11,354	-	33,56,201

डि. ह./—
मुख्य लोखाधिकारी
ग.श्री.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
ग.श्री.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण पोर्षद्

अनुसूची 19 — मरम्मत एवं रख-रखाव

राशि रूपये में

विवरण	चालू वर्ष 2023-24			पिछला वर्ष 2022-23		
	पैंजीगत	राजस्व	कुल	पैंजीगत	राजस्व	कुल
क) भवन	-	9,92,95,648	9,92,95,648	-	34,44,42,075	34,44,42,075
ख) फर्नीचर एवं फिक्सचर	-	1,56,46,940	1,56,46,940	-	1,30,00,809	1,30,00,809
ग) पैंजी एवं मशीनरी	-	-	-	-	-	-
घ) कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-	-
ड) कंप्यूटर	-	-	-	-	-	-
च) प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक उपकरण	-	-	-	-	-	-
छ) शृङ्खला-दृश्य उपकरण	-	-	-	-	-	-
ज) सफाई सामग्री एवं सेवा	-	-	-	-	-	-
झ) पुस्तक जिल्दसाजी प्रभार	-	-	-	-	-	-
ञ) बागवानी	-	-	-	-	-	-
ट) संपदा रख-रखाव	-	-	-	-	-	-
ठ) अन्य (निर्दिष्ट कों)	-	2,44,470	2,44,470	-	4,03,413	4,03,413
कुल	-	11,51,87,058	11,51,87,058	-	35,78,46,297	35,78,46,297

डि. ह./—
 मुख्य लेखाधिकारी
 रा.श्री.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
 मचिव
 रा.श्री.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 20 — वित्त लागत

राशि रूपये में

विवरण	चालू वर्ष 2023-24			पिछला वर्ष 2022-23	
	पंजी	राजस्व	कुल	पंजी	राजस्व
क) बैंक प्रभार	-	3,05,899	3,05,899	-	1,13,172
ख) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-
कुल	-	3,05,899	3,05,899	-	1,13,172
					1,13,172

हि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
ग.शे.अ.प.प.
नई दिल्ली-110 016

हि. ह./—
सचिव
रा.शे.अ.प.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण पोर्षद्

अनुसूची 21 — अन्य व्यय

राशि रूपये में

विवरण	चालू वर्ष 2023-24			पिछला वर्ष 2022-23		
	पूँजीगत	राजस्व	कुल	पूँजीगत	राजस्व	कुल
क) अशोध्य एवं संदिध क्रणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	3,64,97,417	3,64,97,417
ख) लावस्तु शेष बहु खाते डाले गए	-	-	-	-	-	-
ग) स्थायी परिसंपत्तियाँ बहु खाते डाली गई/स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	-	-	-	5,23,326	5,23,326
घ) अन्य संस्थानों/संगठनों को अनुदान/आर्थिक सहायता	-	-	-	-	-	-
ड) अन्य(निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	3,70,20,743	3,70,20,743	3,70,20,743

डि. ह./—
 मुख्य लेखाधिकारी
 रा.श्री.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016
 सचिव
 रा.श्री.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 22 — पूर्वावधि व्यय

राशि रूपये में

विवरण	चालू वर्ष 2023-24			पिछला वर्ष 2022-23		
	पूँजीगत	राजस्व	कुल	पूँजीगत	राजस्व	कुल
1. स्थापना व्यय	-	-	-	-	11,91,29,670	11,91,29,670
2. अकादमिक व्यय	-	-	-	-	-	-
3. प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
4. परिवहन व्यय	-	-	-	-	-	-
5. मरम्मत एवं रख-खात्र	-	-	-	-	-	-
6. कार्यक्रम व्यय	-	-	-	-	-	-
7. अन्य व्यय	-	1,83,38,791	1,83,38,791	-	3,42,75,449	3,42,75,449
कुल	-	1,83,38,791	1,83,38,791	-	15,34,05,119	15,34,05,119

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

ग. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

राशि रूपये में

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	भुगतान	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
1. आदि शेष			1. ब्यव्य		
अ) नकद शेष	-	-	क) स्थापना व्यय	2,70,26,98,980	2,51,25,42,339
ब) बैंक शेष	-	-	ख) अकादमिक व्यय	1,19,02,69,059	3,02,34,79,570
(i) चालू खातों में	43,300	57,400	ग) प्रशासनिक व्यय	1,56,24,04,834	1,49,10,20,528
(ii) जमा खातों में	18,101	18,076	घ) परिवहन व्यय	1,43,61,880	1,36,38,822
(iii) बचत खातों में	1,16,26,85,435	55,86,20,931	ड) मरम्मत एवं रख-रखाव व्यय	29,94,30,525	28,78,60,637
2. प्राप्त अनुदान			च) पूर्व अवधि व्यय	-	-
अ) भारत सरकार से	3,49,97,00,000	3,98,29,60,705	2. उद्दिष्ट/अक्षय निधि के लिए भुगतान	-	-
ब) भारत की राज्य सरकार से	-	-			
स) अन्य स्रोतों से	-	-	3. प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए भुगतान	4,18,33,98,385	3,17,60,44,578
			(पूँजीगत एवं राजस्व व्यय के लिए अनुदान, यदि उपलब्ध हो तो पृथक दर्शाया जाएगा)	-	

		4. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों के लिए भुगतान	1,23,81,735	1,31,05,836
3. अकादमिक प्राप्तियाँ	5,03,90,834	11,29,51,518		
		5. क्रिएट. निवेश एवं जमा—		
4. उद्दिष्ट/अक्षय निधि के लिए प्राप्तियाँ	-	-	आ) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से	-
			ब) स्व-निधि से (निवेश—अन्य)	-
5. प्रायोजित परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्राप्तियाँ	7,84,89,74,251	3,09,81,71,514		
			6. अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा	10,82,00,00,000
6. प्रायोजित अध्येतावृत्तियों तथा छात्रवृत्तियों की प्राप्तियाँ	-	-		11,82,00,00,000
			7. स्थायी परिसंपत्तियों और चालू कार्य पूँजी पर व्यय—	
7. निवेश पर आय—			अ) स्थायी परिसंपत्तियाँ	19,50,04,176
अ) उद्दिष्ट/अक्षय निधि	-	-	ब) चालू कार्य पूँजी	-
ब) अन्य निवेश	6,06,76,109	5,69,81,360		
			8. सांविधिक भुगतानों सहित अन्य भुगतान	1,09,06,77,482
8. निम्नवत पर प्राप्त व्याज—				1,03,73,92,505
अ) बैंक जमा	80,62,59,911	28,30,55,637	9. अनुदानों की वापसी	

ब) ऋण एवं अग्रिम	6,92,843	6,34,459		
स) बचत बैंक खाते	2,79,76,692	2,05,50,597	10. जमा एवं अग्रिम	3,46,08,385
द) बैंक गारंटी	-	-		
9. नकदीकृत निवेश	-	-	11. अन्य भुगतान	10,13,89,73,405
10. अनसूचित बैंकों में मिथादी जमा नकदीकृत	10,75,60,00,000	11,77,00,00,000	12. अंतः शेष—	
11. अन्य आय (पूर्व-अवधि आय सहित)	2,88,18,05,124	3,74,80,36,559	अ) हस्तगत नकद	-
			ब) बैंक शेष	-
			चालू खाते में	25,500
12. जमा एवं अग्रिम	7,92,71,730	1,88,36,516	बचत खाते में	1,16,46,40,930
			जमा खाते में	18,101
13. विविध प्राप्तियाँ सांविधिक प्राप्तियाँ सहित	3,31,77,06,138	7,43,85,57,092		
14. कोई अन्य प्राप्तियाँ	2,91,66,92,910	5,68,24,20,688		
कुल	33,40,88,93,378	36,77,18,53,052	कुल	33,40,88,93,378
				36,77,18,53,051

डि. ह./—
 मुख्य लेखाधिकारी
 ग.शै.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

सचिव
 ग.शै.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
घ. सामान्य भविष्य निधि लेखा — 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

राशि रूपये में

देयताएँ	चालू वर्ष 2022-24	पिछला वर्ष 2022-23	परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
सा.भ.नि.					
आदि शेष	1,52,00,84,835	1,65,99,69,934	निवेश	1,31,78,07,732	1,50,92,97,306
जमा — वर्ष में अधिदान	17,07,57,032	20,71,35,673	31.03.2024 को प्रोद्भूत ब्याज	8,85,12,313	8,44,87,354
जमा — जमा किया गया ब्याज	10,27,04,157	10,60,58,328			
घटा — अग्रिम/निकासी	(26,08,29,025)	(45,30,79,100)			
अंतः शेष	1,53,27,16,999	1,52,00,84,835	बैंक में नकद राशि	5,72,44,048	-
अ.भ.नि.					
आदि शेष	3,34,264	3,34,264	बैंक में शेष		
जमा — वर्ष में अधिदान	-	-			
जमा — जमा किया गया ब्याज	-	-			
घटा — अग्रिम/निकासी	-	-			
अंतः शेष	3,34,264	3,34,264	13,58,32,747	-	-
रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा वित्तपोषित					
अतिरिक्त योगदान					
अधिशेष/(घाटा) —					
आदि शेष	(6,24,67,185)	(4,27,28,893)			
घटा — आय से व्यय की अधिकता	(70,19,984)	(1,97,38,292)			
जमा — आय की व्यय से अधिकता	-	-			
अंतः शेष	(6,94,87,169)	(6,24,67,185)			
कुल	1,46,35,64,093	1,59,37,84,660	कुल	1,46,35,64,093	1,59,37,84,660

डिः ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
ग.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

सचिव
ग.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

ड. समान्य भविष्य निधि लेखा — 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

राशि रुपये में

व्यय	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23	आय	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
जमा व्याज			निवेश पर अर्जित व्याज	9,10,86,842	5,69,81,360
सा.भनि. खाता	10,27,04,157.00	10,60,58,328	जमा — मार्च तक	8,85,12,313	8,44,87,354
अ.भ.नि. खाता	-	-	प्रोट्रॉफ्ट व्याज	(8,44,87,354)	(5,51,48,678)
परिषद् का योगदान (अ.भ.नि.)	-	-	घटा — पिछले वर्षों का	-	-
			प्रोट्रॉफ्ट व्याज		
			बचत खाते पर	5,72,372	-
			अर्जित यज	-	-
			व्यय की आय से	70,19,984	1,97,38,292
			अधिकता		
कुल	10,27,04,157	10,60,58,328	कुल	10,27,04,157	10,60,58,328

डि. ह./—
 मुख्य लेखाधिकारी
 रा.श्री.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
 सचिव
 रा.श्री.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

च. सामान्य भविष्य निधि तोखा — वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

राशि रुपये में

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23	भुगतान	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
आदि शेष	-	5,31,29,321	सा.भ.नि. अधिगम निकासी अ.भ.नि. अधिगम निकासी	26,08,29,025	45,30,79,100
सा.भ.नि. अधिदान	17,07,57,032	20,71,35,673	जी.पी.एफ. खाते के माध्यम से वर्ष के दौरान किया गया निवेश	62,45,20,000	-
अ.भ.नि. अधिदान	-	-	मुख्यालय खाते के माध्यम से निवेश	12,00,00,000	-
ग.शै.अ.प्र.प. द्वारा वित्तपोषित*	-	13,58,32,747	मुख्यालय में रखी गई निवेश की राशि	14,85,75,339	-
बचत खाते पर प्राप्त ब्याज	5,72,372	-	अंत शेष—		
नकदीकृत निवेश	93,60,09,574	92,00,00,000	बचत खाता	5,72,44,048	-
जी.पी.एफ. खाते में निवेश पर मिलने वाला ब्याज	3,04,10,734	5,69,81,360			
मुख्यालय में निवेश पर प्राप्त ब्याज परिषद् से प्राप्त निधि	6,06,76,108 1,27,42,592	-			
कुल	1,21,11,68,412	1,37,30,79,100	कुल	1,21,11,68,412	1,37,30,79,100

*टिप्पणी—

- वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान जी.पी.एफ. निकासी के लिए 13,58,32,747/- रुपये का अतिरिक्त योगदान ग.शै.अ.प्र.प. द्वारा वित्त पोषित किया गया था। 2022–23 के दौरान जी.पी.एफ. निकासी के समायोजन के बिना 92,00,00,000/- रुपये के निवेश का नवीकरण किया गया। चालू वर्ष में 13,58,32,746.30 रुपये का अतिरिक्त योगदान समायोजित किया गया है।

डि.ह./—
 मुख्य लेखाधिकारी
 ग.शै.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

डि.ह./—
 सचिव
 ग.शै.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

गण्टीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

छ. नई पेंशन योजना — 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

राशि रुपये में

देयताएँ	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23	परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
एन.पी.एस. निधि					
निजी अंश	97,85,121	1,11,07,414	निवेश	50,00,000	50,00,000
परिषद् अंश	1,42,75,388	1,80,76,174	जमा— वर्ष के लिए प्रोटोकूल खाज	78,998	67,500
अधिशेष/घाटा					
आदि शब्द	41,17,694	30,87,100	प्राप्त होने वाली सदस्यता (2015–16 और 2016–2017)	-	42,706
वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय	9,99,704	10,30,594	बैंक में नकदी	2,40,02,975	2,98,09,626
देयताएँ			वित्त वर्ष 2023–24 के लिए टी.डी.एस.	34,976	-
			वित्त वर्ष 2022–23 के लिए टी.डी.एस.	25,287	25,287
गेर.-योजना ग्राहकों को भुगतान की जाने वाली राशि	-	16,79,508	वित्त वर्ष 2021–22 के लिए टी.डी.एस.	35,671	35,671
कुल	2,91,77,907	3,49,80,790	कुल	2,91,77,907	3,49,80,790

डि. ह./—
 मुख्य लेखाधिकारी
 ग.शै.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
 सचिव
 ग.शै.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

ज. नई पेंशन योजना — 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

राशि रूपये में

व्यय	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23	आय	चालू वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष 2022-23
बैंक प्रभार	-	अर्जित ब्याज एफ.डी.आर. बचत बैंक	3,38,253 6,42,053 15,400	2,53,296 7,42,357 35,671	
व्यय से अधिक आय	9,99,704	289 पूर्वाधिक ब्याज जमा — वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज टी.डी.आर.	10,30,594 बचत बैंक खाता 30004257450	78,998 -	
		घटा— पिछले वर्ष के लिए प्रोद्भूत ब्याज	(75,000)	(75,441)	(75,000)
		कुल	9,99,704	10,30,883	9,99,704
					10,30,883

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
ग.शे.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
ग.शे.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

झ. नई पेंशन योजना — 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्त एवं भुगतान लेखा

राशि रूपये में

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23	भुगतान	चालू वर्ष 2023–24	पिछला वर्ष 2022–23
आदिशेष			एन.एस.डी.एल. को भेजा गया भुगतान		
हस्तगत रोकड़	-	-	निजी अंश	5,47,67,054	4,24,29,123
बैंक में रोकड़	2,98,09,626	2,63,68,785	परिषद् अंश	7,61,11,753	5,93,97,943
अंशदान			समायोजन	-	-
निजी अंश	5,18,07,959	4,35,05,642	मल्टीमा प्रसाद को किया गया निजी अंश का भुगतान	-	16,67,597
परिषद् का अंश	7,23,10,967	6,09,06,507	रा.श.अ.प्र.प. को भेजा गया परिषद् अंश	-	16,67,597
एन.एस.डी.एल. से (एम.वी.एस.वी. के पक्ष में)			वर्ष के दौरान किया गया निवेश	50,00,000	50,00,000
निजी अंश	-	16,67,597	सा.भ.नि. विकल्प		
परिषद् का अंश	-	16,67,597	निजी अंश (जी.पी.एफ. को)	-	16,24,050
			परिषद् अंश (रा.शै.अ.प्र.प./ विविध)	-	16,24,059

एन.एस.डी.एल से (जी.पी.एफ. विकल्प)	-	32,48,110	जे.एन.यू. को भेजा गया		-
गैर-पी.आर.ए.एन.प्राप्तियाँ	-	-	निजी अंश	-	60,910
			परिषद् अंश	-	60,910
नकदीकृत निवेश	50,00,000	50,00,000	बैंक प्रभार	-	289
नकदीकृत निवेश पर ब्याज	3,11,177	2,35,509			
			अंतः शेष		
			हस्तगत गोकड़	-	-
बचत बैंक खाता पर ब्याज	6,42,053	7,42,357	बैंक में गोकड़	2,40,02,975	2,98,09,626
कुल	15,98,81,782	14,33,42,104	कुल	15,98,81,782	14,33,42,104

हि. ह./—
 मुख्य लेखाधिकारी
 ग.शे.अ.प्र.प.
 नई दिल्ली-110 016

सचिव
 रा.शे.अ.प्र.प.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली

अनुसूची 23

ज. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा प्रस्तुति के लिए आधार

लेखा को परंपरागत लागत की परिपाटी एवं सामान्यतः लेखा की प्रोद्भवन प्रणाली के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो।

2. राजस्व मान्यता

- 2.1 विद्यार्थियों से शुल्क (शिक्षा शुल्क के अलावा), प्रवेश प्रपत्रों की बिक्री, रॉयलटी और बचत खाते पर ब्याज का लेखाकरण नकद आधार पर किया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए अलग से प्राप्त शिक्षा शुल्क का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।
- 2.2 भूमि, भवन एवं अन्य संपत्ति से आय तथा निवेश पर ब्याज का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।
- 2.3 गृह निर्माण, वाहन एवं कंप्यूटर खरीद के लिए स्टाफ को ब्याज पर दिए गए अग्रिम पर ब्याज का लेखाकरण प्रत्येक वर्ष प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है, यद्यपि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्ण पुनर्भुगतान के पश्चात आरंभ होती है।
- 2.4 पुस्तकों/विज्ञान किटों/श्रव्य और दृश्य सी.डी. से राजस्व का लेखाकरण बिक्री आय, छूट तथा व्यापारिक बद्दे के निवल पर किया जाता है।

3. स्थायी परिसंपत्तियाँ एवं मूल्यहास

- 3.1 स्थायी परिसंपत्तियों को अर्जन की लागत पर दर्शाया गया है, जिसमें आवक मालभाड़ा, शुल्क एवं कर तथा अर्जन, संस्थापन एवं प्रवर्तन से संबंधित संगत तथा प्रत्यक्ष व्यय शामिल हैं।
- 3.2 उपहार/दानस्वरूप परिसंपत्तियों को, जहाँ उपलब्ध हो, घोषित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। घोषित मूल्य उपलब्ध न होने पर परिसंपत्ति की भौतिक स्थिति के संदर्भ में वर्तमान बाजार मूल्य पर आधारित समायोजन से अनुमानित किया जाता है। इन्हें पूँजीगत निधि से जमा पर स्थापित किया जाता है एवं संस्था की स्थायी परिसंपत्तियों में विलय किया जाता है। संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास लागू दर से प्रभारित किया जाता है।
- 3.3 स्थायी परिसंपत्तियों को लागत से संचित मूल्यहास घटाकर मूल्यांकित किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान सीधी कटौती प्रणाली पर निम्नवत दरों पर किया जाता है—

मूर्त परिसंपत्तियाँ

1. भूमि	0%
2. स्थल का विकास	0%
3. भवन	2%
4. सड़कें एवं पुल	2%
5. नलकूप एवं जलापूर्ति	2%
6. सीवर एवं जल निकास व्यवस्था	2%
7. विद्युतीय संस्थापन एवं उपकरण	5%
8. संयंत्र एवं मशीनरी	5%
9. वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8%

10. कार्यालय उपकरण	7.5%
11. श्रव्य-दृश्य उपकरण	7.5%
12. कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण	20%
13. फर्नीचर, जुड़नार एवं साज-सज्जा	7.5%
14. वाहन	10%
15. पुस्तकालय की पुस्तकें एवं वैज्ञानिक पत्रिकाएँ	10%

अमूर्त परिसंपत्तियाँ (परिशोधन)

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. ई-पत्रिकाएँ | 40% |
| 2. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 40% |
| 3. पेटेंट एवं प्रकाशनाधिकार | 9 वर्ष |
- 3.4 वर्ष के दौरान जोड़ी गई एवं हटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास पूर्ण वर्ष के लिए लगाया जाता है।
- 3.5 जब किसी परिसंपत्ति का पूर्णतः मूल्यहास होता है तो इसको तुलन पत्र में 1 रुपये के अवशिष्ट मूल्य पर रखा जाएगा और इसके आगे इसका मूल्यहास नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त परिवर्धन पर मूल्यहास की गणना अलग से उस परिसंपत्ति शीर्ष पर लागू मूल्यहास की दर पर की जाती है।
- 3.6 उद्दिष्ट निधियों एवं प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से सृजित परिसंपत्तियाँ, जहाँ ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व संस्था में निहित है, पूँजीगत निधि से जमा पर स्थापित की जाती हैं और संस्था की स्थायी परिसंपत्तियों में इनका विलय कर दिया जाता है। संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास लागू दर से प्रभारित किया जाता है।
- 3.7 जिन परिसंपत्तियों (पुस्तकालय पुस्तकों के अलावा) में प्रत्येक का मूल्य 2000/- रुपये या कम है, उनको लघु मूल्य परिसंपत्तियाँ माना जाता है, ऐसी परिसंपत्तियों के लिए उनके अर्जन के समय 100 प्रतिशत मूल्यहास लगाया जाता है। तथापि, ऐसी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष लेखाकरण एवं नियंत्रण इनके धारकों द्वारा किया जाता है।
- 3.8 के.लो.नि.वि. (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) एकक से प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्र के आधार पर स्थायी परिसंपत्तियों की पहचान करना रा.शै.अ.प्र.प. की परिपाठी है।

4. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

पेटेंट एवं प्रकाशनाधिकार, ई-पत्रिकाएँ और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त परिसंपत्तियों के समूह में रखा गया है।

- 4.1 **पेटेंट**— पेटेंट प्राप्त करने के लिए समय-समय पर किए गए खर्च (आवेदन शुल्क, कानूनी खर्च आदि) का अस्थायी रूप से पूँजीकरण कर दिया जाता है, जो तुलन पत्र में अमूर्त परिसंपत्तियों के भाग के रूप में दर्शाया जाता है। यदि पेटेंट्स के लिए आवेदन अस्वीकार होते हैं तो पेटेंट विशेष पर किए गए संचयी खर्च को आवेदन के अस्वीकार किए गए वर्ष के आय एवं व्यय लेखा के बड़े खाते में डाला जाएगा। प्रदत्त पेटेंटों पर किए गए खर्च को परिमित आधार पर 9 वर्ष की अवधि में बड़े खाते में डाला जाएगा।
- 4.2 **इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएँ**— ई-पत्रिकाओं को इस दृष्टि से पुस्तकालय की पुस्तकों से अलग किया गया है, क्योंकि उनको ऑनलाइन उपलब्ध करवाने से सीमित लाभ प्राप्त किए जा सकते थे। ई-पत्रिकाएँ मूर्त रूप में नहीं हैं, परंतु अस्थायी रूप से पूँजीकृत हैं और अकादमिक तथा अनुसंधान स्टाफ द्वारा अर्जन किए गए निरंतर ज्ञान के संबंध में खर्च की मात्रा एवं प्राप्त लाभ को दृष्टिगत रखते हुए ई-पत्रिकाओं पर मूल्यहास 40 प्रतिशत की उच्चतर दर से लगाया गया, जो कि पुस्तकालय की पुस्तकों पर लगाए जाने वाले मूल्यहास के प्रावधान 10 प्रतिशत से अधिक लगाई गई है।

4.3 सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर खर्च को कंप्यूटरों और सहायक उपकरणों से अलग किया गया है, क्योंकि अमूर्त परिसंपत्तियाँ होने के अलावा इनके संबंध में अप्रचलन की दर बहुत अधिक है। सॉफ्टवेयर के संबंध में दी गई मूल्यहास की 40 प्रतिशत उच्चतर दर कंप्यूटरों एवं सहायक उपकरणों के मूल्यहास पर लगाए जाने वाले मूल्यहास के प्रावधान 20 प्रतिशत की दर से अधिक लगाई गई है।

5. सेवानिवृत्ति हितलाभ

5.1 सेवानिवृत्ति हितलाभ अर्थात पेंशन, उपदान एवं अवकाश का नकदीकरण बीमांकिक मूल्यन आधार पर प्रदान किए जाते हैं। संस्था में आमेलित कार्मिकों के पूर्व नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन एवं उपदान के पूँजीकृत मूल्य को संबंधित प्रावधान लेखा में जमा किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों के लिए प्राप्त पेंशन अंशदान को भी पेंशन लेखा के प्रावधान में जमा किया जाता है। पेंशन, उपदान एवं अवकाश के नकदीकरण के वास्तविक भुगतान को संबंधित प्रावधानों के लेखा में नामे डाला जाता है। अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, जैसे— जमा लिंक बीमा, नई पेंशन योजना में अंशदान, सेवानिवृत्ति कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवानिवृत्ति पर मूल निवास स्थान को यात्रा का लेखाकरण प्रोद्भवन (वास्तविक भुगतान जमा वर्ष के अंत में बकाया बिल) आधार पर किया जाता है।

6. निवेश

6.1 दीर्घावधि निवेश उनकी लागत या अंकित मूल्य में से, जो भी कम हो, उस पर रखे जाते हैं। तथापि, तुलन पत्र की तिथि को उनके मूल्य में किसी स्थायी हास के लिए प्रावधान किया जाता है।
6.2 अल्पावधि निवेश उनकी लागत या बाजारमूल्य (यदि उद्धृत किया गया है।) में से जो भी कम हो, उस पर रखे जाते हैं।

7. उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ

7.1 **पूँजीगत निधि**— प्रारंभ से ही अर्थात 1961 से सहायता अनुदान शिक्षा मंत्रालय से वर्षानुवर्ष आधार पर प्राप्त होते हैं, जिसमें से राजस्व/पूँजीगत प्रकार का खर्च किया जाता है। प्राप्त सहायता अनुदान से सृजित परिसंपत्तियों को परिषद् की पूँजीगत निधि में जमा के द्वारा संस्थान की परिसंपत्तियों में डाला जाता है तथा संस्थागत व्यय के रूप में किए गए राजस्व व्यय को आय में विलय करके इसे आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, संस्था प्रत्येक शीर्ष/उपशीर्ष के अंतर्गत उपयोग किए गए सहायता अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र सरकार को प्रस्तुत करती है।
7.2 भविष्य निधि नई पेंशन योजना में शेष को अग्रेनीत किया जाता है और इसे बैंक, निवेश तथा प्रोद्भूत ब्याज के शेष में परिसंपत्तियाँ शीर्ष में प्रस्तुत किया जाता है।

8. सरकारी अनुदान

8.1 सरकारी अनुदानों का लेखाकरण नकदीकरण आधार पर किया जाता है। तथापि जब वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी करने के लिए संस्कीर्ति 31 मार्च से पूर्व प्राप्त होती है, परंतु अनुदान की राशि वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होती है तो इस अनुदान का लेखाकरण प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है और इसके समान राशि को अनुदानकर्ता से वसूली योग्य राशि के रूप में दर्शाया जाता है।
8.2 पूँजीगत व्यय (प्रोद्भवन आधार पर) के लिए उपयोग की गई मात्रा तक सरकारी अनुदानों को पूँजीगत निधि में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
8.3 राजस्व व्यय (प्रोद्भवन आधार पर) को पूरा करने के लिए उपयोग की गई मात्रा तक के सरकारी अनुदानों को उस वर्ष की आय माना जाता है, जिसमें वे नकदीकृत हुए।
8.4 अप्रयुक्त अनुदानों (ऐसे अनुदानों से दिए गए अग्रिमों सहित) को अग्रेनीत किया जाता है और तुलन पत्र में देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

9. उद्दिष्ट निधियों का निवेश एवं ऐसे निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज रूपी आय

व्यय के लिए, जिस मात्रा की तत्काल आवश्यकता नहीं है, ऐसी निधियों में से उपलब्ध धनराशियों को अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं बॉन्ड में निवेश किया जाता है या बैंकों में नियत अवधि के लिए जमा किया जाता है, शेष को बचत बैंक खाते में छोड़ा जाता है। ऐसे निवेशों पर प्राप्त ब्याज, प्रोद्भूत एवं देय ब्याज तथा ब्याज प्रोद्भूत, परंतु देय नहीं, को संबंधित निधियों में जोड़ा जाता है और इसे संस्थान की आय नहीं माना जाता है।

10. प्रायोजित परियोजनाएँ

- 10.1 जारी प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में प्रायोजकों से प्राप्त धनराशियों (चालू देयताएँ एवं प्रावधान – चालू देयताएँ – अन्य देयताएँ – जारी प्रायोजित परियोजनाओं की प्राप्तियाँ) को शीर्ष में जमा किया गया है। ऐसी परियोजनाओं में से जब कभी खर्च किया जाता है या अग्रिम भुगतान किए जाते हैं या आवंटित ऊपरी प्रभारों को संबंधित परियोजना खाते में नामे डाला जाए तो देयता लेखा के नामे डाला जाता है।
- 10.2 संस्था स्वयं भी अध्येतावृत्तियाँ एवं छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है, जिनका लेखाकरण अकादमिक व्यय के रूप में किया जाता है।

11. माल मूल्यन

पुस्तकों, कागजों, ब्लॉकों और विज्ञान किटों के माल का मूल्यन लागत पर किया जाता है। पुस्तकों के मामले में मूल लागत, मुद्रित मूल्य पर औसत आधार पर छूट प्रदान करने के उपरांत निकाली जाती है।

12. आयकर

आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 ग) के अंतर्गत संस्थान की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है। अतएव लेखा में आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

13. व्यय

रा.शै.अ.प्र.प. प्रत्येक वर्ष 12 महीनों अर्थात् मार्च से फरवरी तक वेतन प्रदान करने की परिपाटी का पालन करती है, इस वर्ष भी इसी परिपाटी का पालन किया गया है।

डि. ह./–
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./–
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

अनुसूची 24

ट. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा पर टिप्पणियाँ

आकस्मिक देयताएँ एवं लेखा पर टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ

- 1.1 पूर्व एवं वर्तमान कार्मिकों, किराएदारों, संविदाकारों द्वारा संस्था के विरुद्ध दायर 82 अदालती मामले तथा संविदाकारों के साथ माध्यस्थम् मामले 31.3.2024 को निर्णयों के लिए लंबित हैं। कार्मिकों द्वारा दायर मुकदमे स्थापना से संबंधित हैं अर्थात् पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतनमान और सेवा-समाप्ति आदि, जिस में दावों की मात्रा को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
- 1.2. 31.03.2024 को संस्था की ओर से बैंक द्वारा स्थापित बकाया साख पत्र-शून्य।
- 1.3. 31.03.2024 को सेवा कर एवं जी.एस.टी. विवादित माँग शून्य।

2. पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार पूँजीगत लेखाओं पर निष्पादित किए जाने वाले और अग्रिमों के निवल के लिए प्रदान नहीं किए गए, शेष संविदाओं का मूल्य 165.06 करोड़ रुपये है। इसे के.लो.नि.वि. के साथ 31.03.2024 को बकाया अंतःशेष राशि के रूप में अनुसूची 8 पर दिखाया गया है।

3. स्थायी परिसंपत्तियाँ

- 3.1 मूर्त परिसंपत्तियाँ— वर्ष 2023–24 के दौरान किए गए परिवर्धनों के संबंध में पूँजीगत निधियों एवं राजस्व निधियों से सृजित स्थायी परिसंपत्तियों को पृथक रूप से दर्शाया गया है। उन परिवर्धनों पर मूल्यहास स्थायी परिसंपत्तियों की मुख्य अनुसूची (अनुसूची 4) की उप-अनुसूची 4(क) तथा 4(ख) में स्पष्ट रूप से दिया गया गया है।
- 3.2 अमूर्त परिसंपत्तियाँ— लेखा के नए संरूप के परिणामस्वरूप अमूर्त परिसंपत्तियों को परिसंपत्ति विवरण में पृथक रूप से दर्शाया जा रहा है। तदनुसार सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों को परिसंपत्ति विवरण/पूँजीगत निधि में दर्शाया गया है।
- 3.3 अनुसूची 4 में स्थायी परिसंपत्तियों में वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धनों में पूँजीगत और राजस्व मदों के तहत क्रमशः 46.14 करोड़ रुपये एवं 2.32 करोड़ रुपये की खरीद की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। प्रायोजित परियोजनाओं एवं उपहारस्वरूप परिसंपत्तियों के तहत वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों में किए गए परिवर्धनों का विवरण क्रमशः 2.70 लाख रुपये और 0.24 लाख रुपये है और तदनुसार पूँजीगत निधि में जमा द्वारा समायोजित किए गए हैं।

4. मूल्यहास

- 4.1 लेखा नीति में परिवर्तन के अनुपालन में दिनांक 01.04.2014 से परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की दरें संशोधित निर्धारित दरों के अनुसार लगाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, संशोधित लेखा नीति के संबंध में मूल्यहास प्रत्यक्ष कटौती प्रणाली पर प्रभारित किया गया है। तथापि, चूँकि परिसंपत्तियों की मूल लागत उपलब्ध नहीं है, अतः परिसंपत्तियों के लिखित मूल्य पर मूल्यहास लगाया गया है। पूर्णतः बड़े खाते में डाली गई परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य के 1 रुपये के साथ में दर्शाया जाना पूर्ण विवरण के अभाव में अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।
- 4.2 उन परिसंपत्तियों के संबंध में जिनकी मूल्यहास की दरें निर्धारित नहीं हैं, उनमें उसी प्रकार की परिसंपत्तियों पर लागू दरें लागू की गई हैं। इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2015 तक अवशिष्ट मूल्य 1/- रुपये पर अर्जित की गई/खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियों के विवरण के अभाव में लेखा में प्रकटीकरण/अभिनिश्चित नहीं किया जा सका।

5. नए संरूप के अनुसार लेखा का संकलन

लेखा का संकलन प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तथा परिषद् के संबंधित एककों से प्राप्त अतिरिक्त जानकारी के आधार पर किया गया है। इसके अतिरिक्त, चूँकि इस संरूप को शैक्षिक संस्थाओं के लिए प्रारूपित किया गया है, संस्था का प्रमुख ध्येय गुणकारी शिक्षा प्रदान करना है, जिसके लिए देश में विद्यालय स्तर की शिक्षा तक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण/विकास/कार्यक्रम/संगोष्ठियाँ/सम्मेलनों के आयोजन एवं पाठ्यचर्चा, पाठ्य-विवरण के विकास पर पर्याप्त राशि खर्च की गई है। तदनुसार जहाँ कहीं भी निर्धारित लेखा संरूप से लेखा प्रस्तुति में कोई विचलन है, उसका समुचित प्रकटीकरण किया गया है।

6. सेवानिवृत्ति हितलाभ

31 मार्च 2024 तक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति हितलाभ (उपदान, पेंशन और अवकाशों के नकदीकरण) के लिए 1642.38 करोड़ रुपये की देयता का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित कर लिया गया। तथापि सेवानिवृत्ति कार्मिकों को उपदान, अवकाश नकदीकरण और पेंशन के चालू वर्ष के भुगतान को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 15 के तहत दर्शाया गया है।

7. विदेशी मुद्रा में व्यय

वर्ष के दौरान निम्नानुसार शीर्षों में किए गए व्यय का विवरण है—

क) यात्रा	रुपये शून्य
ख) रसायन आदि के आयात हेतु विदेशी ड्रॉफ्ट	रुपये शून्य
ग) अन्य	रुपये शून्य

8. चालू परिसंपत्तियाँ, क्रण, अग्रिम एवं जमा

प्रबंधन के विचार में चालू परिसंपत्तियों, क्रणों, अग्रिमों एवं जमा की सामान्य प्रक्रिया में नकदीकरण पर मूल्य कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई समग्र धनराशि के बराबर होना चाहिए।

बैंकों में बचत बैंक खातों और मियादी जमा खातों में शेष का विवरण चालू परिसंपत्तियों की अनुसूची 7 के संलग्नक में दर्शाया गया है।

9. भविष्य निधि

चूँकि भविष्य निधि लेखा और नई पेंशन योजना लेखा संस्थान की निधि का भाग नहीं हैं, ये इन निधियों के सदस्यों के स्वामित्व में हैं, न कि संस्था के पास, इसलिए उन्हें अलग से दर्शाया गया है। वर्ष 2023–24 के लिए भविष्य निधि लेखा और नई पेंशन योजना लेखा का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा (प्रोद्भवन आधार पर) एवं तुलन-पत्र को संस्था के लेखा के साथ संलग्न किया गया है।

10. के.लो.नि.वि./एन.एम.सी. को दिए गए अग्रिम की स्थिति

- 10.1 1 अप्रैल 2023 को के.लो.नि.वि. को कुल अग्रिम 177.75 करोड़ रुपये में से, पूँजीगत शीर्ष के तहत 28.83 करोड़ रुपये के अग्रिमों का निपटान परिसंपत्तियों के अर्जन द्वारा किया गया है और के.लो.नि.वि. द्वारा 1.38 करोड़ रुपये के अग्रिम वापस किए गए हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान भूमि और भवन की मरम्मत एवं रख रखाव के मद में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करके राजस्व शीर्ष के तहत 16.71 करोड़ रुपये का निपटान/वापसी भी की गई है।
- 10.2 वर्ष के दौरान के.लो.नि.वि./ई.डी.सी.आई.एल./एम.पी.यू.वी.एल./एन.एम.सी. को भुगतान किए गए अग्रिमों की स्थिति, जिसमें अर्जित परिसंपत्तियों का विवरण और पूँजीगत एवं राजस्व शीर्ष के तहत किए गए राजस्व व्यय को निम्नवत प्रस्तुत किया गया है—

10.2.1 राजस्व शीर्ष

राशि रूपये में

राजस्व शीर्ष— के.लो.नि.वि./एन.एम.सी. अग्रिम	राजस्व शीर्ष (भूमि एवं भवन)	राजस्व शीर्ष (इ. एवं एफ.)	कुल
आदि शेष (क)	84,66,62,353/-	10,00,000	84,76,62,353/-
जमा— 2023–24 के दौरान के.लो.नि.वि. को दिए अग्रिम (ख)	27,81,37,121/-	-	27,81,37,121/-
जमा— 2023–24 के दौरान एन.एम.सी. को दिए अग्रिम (ग)	55,00,000/-	-	55,00,000/-
घटा— 2023–24 में अर्जित/समायोजित/वापस की गई राशि (घ)	16,71,30,727/-	-	16,71,30,727/-
अंतःशेष (क + ख + ग – घ)	96,31,68,747/-	10,00,000/-	96,41,68,747/-

10.2.2 पूँजीगत शीर्ष

राशि रूपये में

पूँजीगत शीर्ष— के.लो.नि.वि. अग्रिम	पूँजीगत शीर्ष (भूमि एवं भवन)	पूँजीगत शीर्ष (इ. एवं एफ.)	कुल
आदि शेष (क)	92,82,94,411/-	15,39,057/-	92,98,33,468/-
जमा— 2023–24 के दौरान दिए अग्रिम (ख)	5,65,65,000/-	77,33,400/-	6,42,98,400/-
घटा— 2023–24 में अर्जित/समायोजित/वापस की गई राशि (ग)	30,21,64,072/-	-	30,21,64,072/-
अंतःशेष (क + ख + ग)	68,26,95,339/-	92,72,457/-	69,19,67,796/-

- 10.3 आय एवं व्यय लेखा (अनुसूची 13) में दिखाई गई पुस्तकों/सी.डी. और पत्रिकाओं की बिक्री से आय का विवरण निम्नानुसार है—

विवरण		(राशि रूपये में)
	समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 2023–24 में दर्शाई गई पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री से आय	2,11,93,65,600.09/-
जमा	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों को की गई उधार बिक्री	-
घटा	अकादमी आर.आई.ई. (भुवनेश्वर एवं मैसूर) क्रेडिट के कारण 2023–24 में बिक्री	80,91,095.00/-
जमा	चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आपूर्ति की गई पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ जिसके लिए गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम	18,43,83,254.36/-
घटा	पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ जिनके लिए चालू वित्तीय वर्ष में अग्रिम प्राप्त किया गया, परंतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पुस्तकों की आपूर्ति नहीं की जा सकी	18,82,21,404.00/-

जमा	ग्राहकों को बिक्री पर छूट	53,52,52,833.99/-
	समेकित आय और व्यय लेखा 2023–24 में दर्शाई गई पुस्तकों की सूची	2,64,26,89,189.44/-

11. मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान की शीर्षवार स्थिति, इसमें किया गया व्यय और 31.03.2024 को अव्यवित शेष की स्थिति निम्नवत है—

(आँकड़े लाख में)

शीर्ष	01.04.2023 को आदि शेष (क)	प्राप्त अनुदान 2023–24 (ख)	कुल उपलब्ध निधि (ग = क + ख)	अनुदान से किया गया व्यय (घ)	वापस की गई राशि (ड)	31.03.2024 को अव्यर्पण (च)	31.03.2024 को अव्यवित शेष (छ = ग-घ-ड-च)	परिषद् निधि से व्यय का भुगतान (ज)	कुल व्यय (झ = ग + ज)
वेतन	2,038.95	14,500.00	16,538.95	13,586.55	1042.51	425.98	1,483.91	806.34	14,392.89
राजस्व (सामान्य)	303.39	18,447.00	18,750.39	17,924.48	303.39	522.52	-	3,304.91	21,229.39
पूँजीगत	-	1,900.00	1,900.00	1,897.26	-	2.34	0.40	-	1,897.26
एन.ई.आर.	-	150.00	150.00	146.18	-	3.82	-	3.91	150.09
कुल	2,342.34	34,997.00	37,339.34	33,554.47	1,345.91	954.66	1,484.31	4,115.16	37,669.63

टिप्पणी

1. शेष राशि 14,83,90,527 रुपये 02.04.2024 को देय मार्च 2024 महीने के वेतन के भुगतान के लिए टी.एस.ए. से वाणिज्यिक बैंक खाते से रा.शै.अ.प्र.प. में स्थानांतरित कर दिया गया।
2. वेतन मद में अनुदान के अतिरिक्त (8,06,34,456) रुपये की राशि की कमी परिषद् की आंतरिक प्राप्तियों से पूरी की गई है।
3. राजस्व (सामान्य) मद के तहत सहायता अनुदान के अतिरिक्त (33,04,90,682) रुपये की राशि की कमी परिषद् की आंतरिक प्राप्तियों से पूरी की गई है।
4. एन.ई.आर. मद के तहत कृषि अनुदान के अतिरिक्त (3,91,261) रुपये की राशि की कमी परिषद् की आंतरिक प्राप्तियों से पूरी की गई है।
5. वेतन के तहत अतिरिक्त खर्च का 30 प्रतिशत वित्तीय प्रभाव अर्थात् 12,31,15,265/- रुपये रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा वहन किया गया है और इसलिए, इसका हिसाब लगाया गया है अर्थात्, वेतन पर कुल व्यय (1,56,24,04,834/- रुपये घटाकर 12,31,15,265/- रुपये) तथा शुद्ध व्यय 1,43,92,89,569/- रुपये वेतन के तहत दर्शाया गया है।
12. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है, 199.76 करोड़ रुपये की वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों (अनुसूची 3) में गत वर्ष 2022–23 के दौरान 6.67 लाख रुपये का नामे शेष शामिल है। 4,58,651/- रुपये की राशि वाले नामे शेष को पिछली अवधि की आय में नामे करके एवं अन्य देनदारियों में जमा करके समायोजित किया गया है और 2,08,365 रुपये के अन्य शुल्क बकाया व्यय में नामे शेष को चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान समायोजित किया गया है।

13. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है प्रायोजित परियोजना लेन-देन अनुसूची 3 क. के तहत आते हैं तथा पुरानी परिपाटी के अनुसार इन परियोजनाओं को अनुसूची 3 क. के तहत लिया गया है।
14. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है कि क्रण, अग्रिम एवं जमा में प्रायोजित परियोजना के नामे शेष शामिल हैं, जिनकी राशि 50.58 लाख रुपये है, जिसे चालू वर्ष 2023–24 के दौरान समायोजित किया गया है।
15. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है, आर.आई.ई., भुवनेश्वर द्वारा 2005–06 से 2016–17 की अवधि के दौरान विभिन्न एजेंसियों से वसूली गई 3.54 लाख रुपये की सुरक्षा जमा को चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में समायोजित किया गया है।
16. जैसा कि एस.ए.आर. में बताया गया है, आर.आई.ई., भोपाल ने चूक को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। वार्षिक लेखा 2023–24 की तैयारी के दौरान, अद्यतन सुरक्षा जमा राशि को संबंधित विवरणों में सटीक रूप से दर्ज किया गया है एवं वार्षिक लेखा में शामिल किया गया है।
17. जैसा कि एस.ए.आर. के पैरा ब.9 में बताया गया है, चालू वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आवश्यक कार्रवाई की गई है और शेष राशि को वार्षिक लेखा की अनुसूची 10 में अलग से दिखाया गया है।
18. जैसा कि एस.ए.आर. के पैरा क.1 में बताया गया है कि सी.ए.जी. ने संस्तुति की है कि रा.शै.अ.प्र.प. के लेखाओं की बेहतर रिपोर्टिंग के लिए इकाईवार तुलन पत्र, प्राप्तियाँ और भुगतान तथा आय एवं व्यय लेखा तैयार किया जाना चाहिए। इस वर्ष रा.शै.अ.प्र.प. ने प्रत्येक इकाई के लिए अलग से तुलन पत्र तैयार किया है और उसका समेकन किया गया है।
19. क्षेत्रीय शैक्षिक संस्थान, अजमेर के लिए 2020–21 के व्यय के लिए 30,09,858/- रुपये की देयता बकाया दिख रही थी, लेकिन भुगतान हेतु कोई भी व्यय बकाया नहीं है। इसलिए, इस राशि को पूर्व अवधि आय में जमा करके समायोजित किया गया है।
20. वर्ष 2021–22 में सी.आई.ई.टी. के लिए जनशक्ति एवं गृह प्रबंधन सेवाओं के शीर्षक के तहत देयता की बुकिंग किए बिना 60,50,419/- रुपये की राशि का भुगतान किया गया था, जिसके कारण बकाया व्यय के शीर्ष के तहत नामे शेष दिखाई दे रहा था। अब, वर्ष 2023–24 के दौरान इसे पूर्व अवधि व्यय के लिए समायोजित किया गया है।
21. 5,32,498 रुपये की राशि को 2021–22 में सी.आई.ई.टी. के लिए बकाया व्यय में ‘अन्य प्रभार’ शीर्षक के तहत नामे किया गया और 1,33,625 रुपये जमा किया गया। अब, शेष राशि को समायोजित करने के लिए 3,98,873 रुपये के निवल प्रभाव के साथ अन्य प्रभार शीर्षक के तहत बुक किया गया है।
22. वर्ष 2021–22 के दौरान, सी.आई.ई.टी. के लिए बकाया व्यय के तहत ‘मेडी-क्लेम’ शीर्षक से 6,14,163/- रुपये जमा किए गए और 5,93,939/- रुपये की राशि का नामे/निपटान किया गया। शेष 20,224/- रुपये को अब ‘मेडी-क्लेम व्यय’ के तहत बकाया राशि में नामे किया गया है और पूर्व अवधि की आय में जमा किया गया है।
23. 2021–22 में सी.आई.ई.टी. के लिए ‘बकाया देयता’ के तहत टी.ए.डी.ए. के तहत 16,500/- रुपये की देयता दर्ज की गई थी। यह राशि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान व्यय लेखा में नामे की गई थी। यद्यपि, खातों में कोई समायोजन नहीं किया गया था। चालू वर्ष 2023–24 के दौरान राशि को पूर्व अवधि की आय में जमा करके बकाया व्यय के लिए टी.ए.डी.ए. के तहत नामे किया गया है।
24. बकाया व्यय के तहत ‘विविध व्यय’ शीर्षक में 22,723 रुपये जमा किए गए, जिसमें सी.आई.ई.टी. में वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान जल शुल्क के लिए 17,531 रुपये और इंटरनेट शुल्क के लिए 5,192 रुपये शामिल हैं। 2022–23 में शेष राशि में से इंटरनेट शुल्क के लिए 5,192/- रुपये नामे किए गए। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 17,531/- रुपये का जल शुल्क चुकाया गया, लेकिन इसे ‘विविध व्यय’ के तहत दर्ज किया गया। वर्ष 2023–24 के दौरान सुधार किया गया है और ‘जल शुल्क’ शीर्ष को जमा किया गया है, और ‘विविध शीर्ष’ को बकाया व्यय के तहत नामे किया गया है।
25. वर्ष 2021–22 के दौरान, सी.आई.ई.टी. के लिए वेतन बकाया के तहत ‘बकाया व्यय’ के तहत 5,65,500/- रुपये की राशि बुक/जमा की गई है और अंततः 4,27,346/- रुपये पर निपटाई गई है। वर्ष 2023–24 के दौरान, 1,38,154/- रुपये का शुद्ध प्रभाव वेतन बकाया में नामे किया गया है और पिछली अवधि की आय में जमा किया गया है।

26. सी.आई.ई.टी. के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 से संबंधित 6,568/- रुपये की राशि को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व अवधि व्यय को नामे करके और ‘जी.एस.टी. पर टी.डी.एस.’ को जमा करके समायोजित किया गया है।
27. वर्ष 2017–18 से 79,41,474/- रुपये की राशि ‘अन्य देयताओं’ के तहत नामे शेष के रूप में दिखाई दे रही थी। यह राशि 5 वर्षों से अधिक समय से अज्ञात एवं असमायोजित थी। चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान यह राशि पूर्व अवधि के व्यय में नामे की गई है और मुख्यालय के तहत ‘अन्य देयताओं’ में जमा की गई है।
28. वर्ष 2017–18 से 4,58,651/- रुपये की राशि ‘अन्य देयताओं’ के तहत नामे शेष के रूप में दिखाई दे रही थी। यह राशि 5 वर्षों से अधिक समय से अज्ञात एवं असमायोजित थी। चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान यह राशि पूर्व अवधि के व्यय में नामे की गई है और मुख्यालय के तहत ‘अन्य देयताओं’ में जमा की गई है।
29. मुख्यालय में पिछले कुछ वर्षों में जमा हुई अतिरिक्त सुरक्षा जमाराशि (देयता पक्ष में दिखाई दे रही है) 54,46,376.40/- रुपये की राशि को वास्तविक राशि के साथ जमा राशि का मिलान करने के लिए पूँजीगत निधि में जमा करके समायोजित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सुरक्षा जमा राशि को विभिन्न वर्षों में चुकाया गया था, लेकिन संबंधित वर्षों में इसे देयता लेखा में नामे नहीं किया गया था। इसलिए, देयता की इस अतिरिक्त राशि को देयता की सही राशि को दर्शाने के लिए समायोजित किया गया है।
30. मुख्यालय में गृह क्रण खाते में 4,125/- रुपये के अंतर के साथ नामे किया गया है और उसी राशि के साथ पूँजीगत निधि में जमा किया गया है।
31. वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–2019 के दौरान 30,000/- रुपये की सुरक्षा जमा की देयता को गलत तरीके से शुल्क एवं प्रभार के रूप में मान लिया गया था। साथ ही वर्ष 2022–23 के दौरान 3,20,000/- रुपये की राशि को ‘शुल्क एवं प्रभार’ शीर्षक के तहत आय के रूप में माना गया है। चालू वर्ष 2023–24 के दौरान, 3,50,000/- रुपये की राशि को पूर्व अवधि व्यय के रूप में लिया गया है और उत्तर-पूर्व शिक्षा संस्थान, शिलांग के लिए सुरक्षा जमा (देयता पक्ष) में जमा किया गया है।
32. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान ‘अभिदान प्राप्य’ के रूप में बकाया 42,706/- रुपये की राशि को ‘स्वयं शेयर’ के प्रति समायोजित किया गया है, क्योंकि यह राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 में पहले ही प्राप्त हो चुकी है।
33. चालू वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त टी.डी.एस. के संबंध में वर्ष 2021–22 में 7,04,34,800/- रुपये की शेष राशि अनुसूची 3 क. से संबंधित है अर्थात् प्रायोजित परियोजनाओं को मुख्यालय में विविध प्राप्तियों के रूप में लिया गया है।
34. गत वर्ष 2016–17 से 12,18,035/- रुपये की राशि असमायोजित है। इस राशि को वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अन्य को अग्रिम जमा करके तथा गत वर्ष के लेखाओं में नामे करके समायोजित किया गया है।
35. गत वर्ष 2016–17 से 10,02,626/- रुपये की राशि असमायोजित है। इस राशि को वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अन्य को अग्रिम जमा करके तथा मुख्यालय में पूर्व अवधि व्यय में नामे करके समायोजित किया गया है।
36. प्रकाशन प्रभाग में एक लिपिकीय त्रुटि है, जिसके तहत गत वर्ष 2022–23 के दौरान 2,12,567.95/- रुपये के कागज की गणना किलोग्राम के बजाय गलती से मीट्रिक टन में कर दी गई। कागज का वास्तविक मूल्य 21,25,67,947.59/- रुपये था, लेकिन इसे अनजाने में 2,12,567.95/- रुपये के रूप में दर्शाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 21,23,55,379.64/- रुपये का अंतर पैदा हुआ। चालू वर्ष 2023–24 के दौरान, 21,23,55,379.64/- रुपये की अंतर राशि को कागज खाते में नामे किया गया है और पूँजी निधि में जमा किया गया है।
37. 7 वर्षों से अधिक समय से 23,82,344/- रुपये की राशि बकाया है। चालू वर्ष 2023–24 के दौरान, राशि को विविध लेनदारों के खाते में नामे किया गया तथा प्रकाशन प्रभाग से संबंधित शीर्ष में जमा किया गया।
38. प्रकाशन प्रभाग में वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान बकाया व्यय मद में 13,18,98,702/- रुपये जमा किए गए, जिनमें कागज के लिए 11,19,68,508/- रुपये, मुद्रण के लिए 1,32,27,057/- रुपये तथा परिवहन के लिए 67,03,137/- रुपये शामिल हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान इसमें सुधार किया गया और बकाया व्यय मद को नामे किया गया तथा पूर्व अवधि आय में जमा किया गया।

39. यह एक पुरानी परिपाटी है कि परिषद् ने गत वर्षों में प्रायोजित परियोजनाओं के लिए परिषद् से पी.आर. के माध्यम से धनराशि भेजी और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों/एककों ने प्रायोजित परियोजनाओं पर व्यय किया। इस परिपाटी के कारण मुख्य प्रायोजित परियोजनाएँ नामे शेष दिखा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान प्रायोजित परियोजनाओं में शेष राशि को 42,26,969/- रुपये की पूँजीगत निधि के साथ समायोजित किया गया है।
40. चालू वर्ष 2023–24 में प्रकाशन प्रभाग के गृह ऋण खाते में प्रारंभिक शेष राशि 57,783/- रुपये के अंतर को पूँजीगत निधि के साथ समायोजित किया गया है।
41. रा.शै.अ.प्र.प. ने बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार अपने कर्मचारियों (एन.पी.एस. अभिदाताओं सहित) के उपदान के लिए 78,44,12,319/- रुपये का प्रावधान किया है।
42. वित्त वर्ष 2023–24 से जी.पी.एफ. के लेखा में संपूर्ण निवेश एवं अनुवर्ती देयता को जी.पी.एफ. के अलग लेखा में दिखाया गया है।
43. एल.पी.सी. शीर्ष के तहत दर्शाई गई 5,410/- रुपये की राशि वित्त वर्ष 2019–20 से संबंधित है, जो कि अज्ञात थी। अब चालू वर्ष 2023–24 के दौरान इसे पूँजीगत निधि के साथ समायोजित किया गया है।

डि. ह./—
मुख्य लेखाधिकारी
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

डि. ह./—
सचिव
रा.शै.अ.प्र.प.
नई दिल्ली-110 016

(प्रस्तुत रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी रूपांतरण ही मान्य होगा)

ठ. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के लेखा पर 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) की 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत लेखापरीक्षा की है। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट को वर्ष 2027–28 तक की अवधि के लिए सौंपा गया है। इन वित्तीय विवरणों का दायित्व रा.शै.अ.प्र.प. प्रबंधन की है। इन वित्तीय विवरणों में परिषद् एवं रा.शै.अ.प्र.प. मुख्यालय के 12 एककों का लेखा शामिल है। इनमें से चार एककों के लेखा की लेखापरीक्षा की गई थी तथा रिपोर्ट में टिप्पणियों पर विचार किया गया। हमारा दायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।
2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, श्रेष्ठ लेखा रीतियों, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण प्रतिमानकों आदि से अनुरूपता के संबंध में लेखा विधियों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियाँ समाविष्ट हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) का अनुपालन तथा कौशल-सह-निष्पादन पहलुओं आदि से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर यदि कोई लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ हों तो वे निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों द्वारा पृथक रूप से प्रतिवेदित किए गए हैं।
3. हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा संचालित की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन में यथोचित रूप से सुनिश्चित करें कि क्या वित्तीय विवरण आर्थिक गलत बयानी से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा के अंतर्गत परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणियों में धनराशियों एवं प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्यों की जाँच सम्मिलित हैं। प्रबंधन द्वारा प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों एवं महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के निर्धारण के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी इस लेखापरीक्षा में शामिल है। हमें विश्वास है कि यह लेखापरीक्षा, हमारे विचारों को उचित आधार प्रदान करती है।
4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि—
 - (i) हमने रिपोर्ट में दी गई टिप्पणी के अधीन सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थी।
 - (ii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश सं. 29-4/2012-एफ.डी. दिनांक 17 अप्रैल 2015 के माध्यम से विनिर्धारित प्रपत्र में बनाए गए हैं।
 - (iii) हमारी राय में रिपोर्ट की टिप्पणी के अधीन इन बहियों की जाँच करने पर यह प्रतीत होता है कि परिषद् द्वारा लेखा बही एवं अन्य संगत अभिलेखों का समुचित रख-रखाव किया गया है।
 - (iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि—

अ. तुलन पत्र

अ.1 परिसंपत्ति

अ.1.1 चालू परिसंपत्ति (अनुसूची 7) – 1360.83 करोड़ रुपये

उपर्युक्त में रा.शै.अ.प्र.प. की एक इकाई, आर.आई.ई., अजमेर में तीन बैंक खातों की शेष राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज सम्मिलित नहीं है, जो वर्ष 2023–24 के लिए क्रमशः 197.95 लाख रुपये और 4.58 लाख रुपये है। विवरण निम्नानुसार हैं—

क्रम सं.	खाता सं.	खाते का नाम	31.03.2024 तक शेष राशि	वर्ष 2023–24 के दौरान अर्जित ब्याज
1.	10200605710	छात्र मेस निधि	86,86,469.57	1,58,195
2.	10200605685	अध्यक्ष, गैर-परिषद् निधि	1,02,90,886.07	2,75,716
3.	10200605674	छात्र कल्याण निधि	8,17,645.45	24,367
कुल			1,97,95,001.09	4,58,278

इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों एवं पूँजी निधि में 202.53 लाख रुपये की कमी आई है। 2021–22 से रिपोर्ट में इस ओर ध्यान दिलाया जा रहा है, लेकिन परिषद् द्वारा उपचारी कार्रवाई नहीं की गई है।

अ.1.2 ऋण, अग्रिम एवं जमा (अनुसूची 8) — 189.79 करोड़ रुपये

(1) के.लो.नि.वि. अग्रिम 165.06 करोड़ रुपये

उपर्युक्त में केंद्रिय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी., रा.शै.अ.प्र.प. की एक इकाई) द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए के.लो.नि.वि. को दिए गए 12.10 करोड़ रुपये के अग्रिम शामिल हैं। लेखापरीक्षा में 12.10 करोड़ रुपये के इन अग्रिमों के संबंध में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखी गईं।

(क) 12.10 करोड़ रुपये की राशि में से 5.55 करोड़ रुपये (पूँजीगत— 2.09 करोड़ रुपये और मरम्मत एवं रख-रखाव: 3.46 करोड़ रुपये) 2020–21 से पहले के वर्ष से संबंधित है, जिसके लिए कार्यवार विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसलिए लेखापरीक्षा लेखों में दिखाए गए 5.55 करोड़ रुपये के अग्रिमों को सत्यापित करने में सक्षम नहीं हैं।

(ख) इसमें चाचा नेहरू भवन, सी.आई.ई.टी. बिल्डिंग में संगीत स्टूडियो, टॉक स्टूडियो आदि में तकनीकी सुविधाओं के उन्नयन कार्य के संबंध में 3.47 करोड़ रुपये का अग्रिम शामिल है। कार्य 24.9.2022 को पूरा हो गया है और मार्च 2024 में समापन प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, लेकिन समायोजन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम एवं जमा राशि को अधिक दिखाया गया है और स्थायी परिसंपत्तियों को 3.47 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया है।

(ग) इसमें ‘सी.आई.ई.टी. बिल्डिंग में संस्थापित लिफ्ट 1 नंबर (13 पैसेंजर जॉनसन मेक) के मरम्मत’ कार्य के संबंध में 9.45 लाख रुपये का अग्रिम शामिल है। यह कार्य 12.55 लाख रुपये की लागत से 20.9.2022 को पूरा हो गया है और मार्च 2024 में समापन प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, लेकिन समायोजन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम एवं जमा को 9.45 लाख रुपये अधिक दिखाया गया है, चालू देयताओं एवं प्रावधानों को 3.10 लाख रुपये कम दिखाया गया है और व्यय को 12.55 लाख रुपये कम दिखाया गया है।

इसके अलावा लेखा-जोखा के अनुसार के.लो.नि.वि. को 9.45 लाख रुपये का अग्रिम जारी किया गया है, जबकि के.लो.नि.वि. के अनुसार उन्हें 12.64 लाख रुपये का अग्रिम प्राप्त हुआ है। इसका समाधान किया जाना आवश्यक है।

(घ) इसमें ‘सी.आई.ई.टी. बिल्डिंग में पुरानी खराब एल्युमीनियम वार्यरिंग को कॉपर वार्यरिंग से बदलने’ के कार्य के संबंध में 57.41 लाख रुपये की अग्रिम राशि शामिल है। यह कार्य 57.84 लाख रुपये की लागत से 20.7.2022 को पूरा हो गया है और मार्च 2024 में समापन प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, लेकिन समायोजन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम एवं जमा राशि 57.41 लाख रुपये अधिक बताई गई है, चालू देनदारियों एवं प्रावधानों को 0.43 लाख रुपये कम बताया गया है और व्यय को 57.84 लाख रुपये कम बताया गया है।

इसके अलावा, लेखा के अनुसार के.लो.नि.वि. को 57.41 लाख रुपये का अग्रिम जारी किया गया है, जबकि के.लो.नि.वि. के अनुसार 77.41 लाख रुपये का अग्रिम उन्हें प्राप्त हुआ है। 20 लाख रुपये के अंतर का समाधान किया जाना है।

(ङ) इसमें रा.शै.अ.प्र.प. परिसर में ए/आर एंड एम.ओ. गैर-आवासीय सी.आई.ई.टी. भवन (आंतरिक परिसज्जा कार्य, पोर्टा केबिन और हेवी ड्रूटी विनाइल फ्लोरिंग प्रदान करना और बिछाना) कार्य के संबंध में 20.98 लाख रुपये का अग्रिम शामिल है। 21 नवंबर 2022 तक के.लो.नि.वि. द्वारा प्रदान किए गए व्यय विवरण के अनुसार यह कार्य 8.89 लाख रुपये

की लागत से पूरा हो चुका है। समायोजन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप घटे, अग्रिम एवं जमा राशि में 8.89 लाख रुपये की अधिकता एवं व्यय में 8.89 लाख रुपये की कमी दर्शाई गई है। शेष 12.09 लाख रुपये की जमा राशि के लो.नि.वि. से वसूल की जानी चाहिए या किसी अन्य कार्य के साथ समायोजित की जानी चाहिए।

- (2) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग (रा.शै.अ.प्र.प. की एक इकाई) के वर्ष 2023–24 के वार्षिक खातों के अनुसार, पूँजी एवं राजस्व के तहत के.लो.नि.वि. के पास जमा बकाया अग्रिमों का 01.04.2023 तक आदि शेष 14.09 करोड़ रुपये था और 31.03.2024 को अंतः शेष 13.49 करोड़ रुपये था, लेकिन मेघालय सेंट्रल डिवीजन, के.लो.नि.वि., शिलांग द्वारा जमा किए गए फॉर्म 65 के अनुसार जमा निर्माण कार्यों का आदि शेष 9.12 करोड़ रुपये था और अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए अंतः शेष 7.80 करोड़ रुपये था, जो आदि शेष में 4.97 करोड़ रुपये और अंतः शेष में 5.69 करोड़ रुपये की विसंगति पैदा करता है। इन अंतरों का समाधान लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

ब. सहायता अनुदान

वर्ष 2023–24 के दौरान रा.शै.अ.प्र.प. को 349.97 करोड़ रुपये (पूँजीगत— 19.00 करोड़ रुपये एवं राजस्व— 330.97 करोड़ रुपये) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। दिनांक 01 अप्रैल 2023 तक इसका आदि शेष 23.42 करोड़ रुपये (पूँजीगत— शून्य रुपये एवं राजस्व— 23.42 करोड़ रुपये) था। 373.39 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध निधि में से इसने 335.54 करोड़ रुपये (पूँजीगत— 19.63 करोड़ रुपये एवं राजस्व— 315.91 करोड़ रुपये) का उपयोग किया। रा.शै.अ.प्र.प. ने वर्ष के दौरान 23.01 करोड़ रुपये वापस किए, जिससे 31 मार्च 2024 तक 14.84 करोड़ रुपये का अव्ययित शेष रह गया।

मार्च 2024 तक परिषद् को शिक्षा मंत्रालय और अन्य एजेंसियों से प्रायोजित/विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वर्ष के दौरान 419.88 करोड़ रुपये का अनुदान भी मिला और इन परियोजनाओं में 7.02 करोड़ रुपये का आदि शेष था। 426.9 करोड़ रुपये के कुल अनुदान में से इन परियोजनाओं पर 416.85 करोड़ रुपये खर्च किए गए और वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा 9.13 करोड़ रुपये वापस किए गए, जिससे 31 मार्च 2024 तक 0.91 करोड़ रुपये का शेष रह गया।

स. प्रबंधन पत्र

- क) जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारी/सुधारक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प. के ध्यान में लाया गया है।
- ख) पूर्ववर्ती पैराग्राफों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम प्रतिवेदित करते हैं कि इस रिपोर्ट में सम्प्रिलित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा, लेखा बही के अनुरूप हैं।
- ग) हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तथा ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।
 - जहाँ तक कि यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली के 31 मार्च 2024 तक के कामकाज की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है; तथा
 - जहाँ तक कि यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षर

स्थान – नई दिल्ली

दिनांक – 23.10.2024

**महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केंद्रीय व्यय)**

ड. लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

रा.शै.अ.प्र.प. की एक आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध है। तथापि रा.शै.अ.प्र.प. की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नानुसार सुदृढ़ करने की आवश्यकता है—

- वर्ष 2022–23 के दौरान सभी 12 एककों की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी, परंतु 2023–24 के दौरान केवल 5 एककों की लेखापरीक्षा ही की जा सकी।
- रा.शै.अ.प्र.प. मुख्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा आज तक संचालित नहीं की गई है।
- आपत्तियों के निपटान हेतु समुचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई चूंकि 31.03.2024 को 466 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा बाकी थे।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

रा.शै.अ.प्र.प. की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं है, क्योंकि—

- रोकड़ बही, व्यय नियंत्रण रजिस्टर संविदा के रजिस्टर का रख-रखाव न करना।
- कुछ परियोजनाएँ, पिछले तीन वर्षों से गतिविधिहीन हैं।
- रा.शै.अ.प्र.प. मुख्यालय खाते के बैंक समाधान विवरण में भारी मात्रा में असंगत राशि।
- स्थायी परिसंपत्तियों और माल-सूची का नियमित प्रत्यक्ष सत्यापन न करना।

3. स्थायी परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

- रा.शै.अ.प्र.प. (मुख्यालय) और सी.आई.ई.टी. की भूमि एवं भवनों का प्रत्यक्ष सत्यापन मार्च 2022 तक किया गया है।
- रा.शै.अ.प्र.प. (मुख्यालय) की अन्य स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन केवल 2016–17 तक ही किया गया है।
- रा.शै.अ.प्र.प. (मुख्यालय) के पुस्तकालय का प्रत्यक्ष सत्यापन मार्च 2020 तक किया जा चुका है।
- रा.शै.अ.प्र.प. (सी.आई.ई.टी., एन.ई.आर.आई.ई., शिलांग) के एककों की नमूना जाँच से पता चला कि स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है।

4. वस्तु-सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

- रा.शै.अ.प्र.प. (मुख्यालय) की स्टेशनरी का प्रत्यक्ष सत्यापन 2023–24 तक किया जा चुका है और उपभोज्य सामग्रियों का प्रत्यक्ष सत्यापन 2023 तक किया जा चुका है।
- रा.शै.अ.प्र.प. (सी.आई.ई.टी., एन.ई.आर.आई.ई. शिलांग) के एककों की नमूना जाँच से पता चला है कि वस्तु-सूची अर्थात् स्टेशनरी और उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है।

5. सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता

- दिनांक 31.03.2024 को सांविधिक बकाया से संबंधित छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।

विद्या S मृतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

UN508